BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH,

NEW DELHI

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi ... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

INDEX

S.no	Particulars	Page No.
1.	Progress report on behalf of District Magistrate, Dehradun, respondent no 5 in compliance of the order dated 16.12.2024.	1-4
2.	Annexure A Copy of the order dated 16.12.2024	5-12
3.	Annexure B Copy of the interim notification number-941/II(2)/2024-6(40)/2024 dated 07.10.2024.	13-25
4.	Annexure C Copy of the proceedings for disposal of objections.	26-37
5.	Annexure D Copy of the latest geotagged photograph of the encroachment site attached along with the report.	38-72
6.	Annexure E Copy of order dated 10.02.2025 in Civil Appeal No 1440 of 2025.	73-77

Dated: 12.02.2025

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi ... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

NOTARIAL

NOTARIAL

PROGRESS REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, DEHRADUN, RESPONDENT NO 5 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 16.12.2024

Most respectfully showeth:

I Savin Bansal aged about 40 years S/o Sh. Shashi Bansal, presently posted as District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present additional reply by way of affidavit.
2. That the above-mentioned matter was listed before the Hon'ble Tribunal multiple times and on 16.12.2024 and the Hon'ble tribunal was pleased to pass following order:

   "9. Progress report dated 13.12.2024 has been filed. In the progress report it has been mentioned that total number of 132 objections have been received and approximately 45 days are required for disposal of the same. 10. Further progress report regarding further steps taken be filed by the District Magistrate, Dehradun at least two days before the next date of hearing hereby fixed."

   Copy of the order dated 13.12.2024 is annexed herewith as Annexure A.

3. That in compliance of the directions vide interim notification number-941/II(2)/2024-6(40)/2024 dated 07.10.2024 issued by Secretary Irrigation Section and Flood Control Section-2, Government of Uttarakhand, the undersigned published notification in Dainik Jagran and Hindustan newspapers on 11.10.2024 and same was uploaded on the NIC website (dehradun.nic.in) of District Dehradun. Copy of the interim Notification is Annexed herewith as Annexure B.
4. That after which a total 156 objections were received in the office of the undersigned which were subsequently heard on 10.12.24, 14.12.2024 and 21.12.2024. The objections were addressed before committee constituted under the chairmanship of undersigned by the notification number-1488/11-2014/06(103)/2013 Dehradun dated 06.07.2015 of the Government of Uttarakhand, Irrigation Section-2. Copy of the proceedings for disposal of objections is annexed herewith as Annexure C.
5. That in continuation the undersigned vide letter dated 161/ LBC-2023-24 dated 31.01.2025 a proposal was sent to the Secretary Irrigation, Uttarakhand Government for issuing the final notification.
6. It is further submitted that Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation Dehradun vide letter number-523/Bhoomi/2025 dated 07.02.2025 has submitted a report along with copies of the notification of the ordinance and act published by the Uttarakhand government from time to time,

NOTARY
Dehra Dun
UTTARAKHAND

informing about the action taken and the current situation. It has been mentioned in the above report that out of the total 89 encroachments identified, demolition proceedings were carried out for 69. The report states that notifications from the Uttarakhand government cover/protect the remaining 20 encroachments. Copy of the latest geotagged photograph of the encroachment site attached along with the report is Annexed herewith as Annexure D.

7. That additionally, the Additional Municipal Commissioner of the Municipal Corporation has informed a Civil Appeal No 1440 of 2025 was filed against the order dated 16.12.2024 of the present OA. That the Hon'ble Supreme Court was pleased to dispose of the appeal and passed following order:

> *"5. According to the learned Solicitor General and Mr. Atmaram N S Nadkarni, the Tribunal has not directed its attention towards the second proviso to Clause 6(3).*
>
> *6. In view of the stand taken by the State, we permit the State to go back to the Tribunal and move a necessary application before the Tribunal, bringing to its kind attention the second proviso to Clause 6(3) and for seeking appropriate directions thereof. Let the needful be done within two weeks from today.*
>
> *7. In the event of any adverse orders are made, we grant liberty to the State to come back to this Court against the said order and the impugned order as well.*
>
> *8. The senior counsel undertakes that the application will be filed within two weeks. The impugned order is kept in abeyance for a period of three weeks.*

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

9. The matter is disposed of in the above terms.

10. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

That the copy of the order dated 10.2.2024 Civil Appeal No 1440 of 2025 is Annexed herewith as Annexure E.

8. That in interest of justice the present progress report may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

Deponent
जिलाधिकारी
देहरादून

VERIFICATION

I deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above report are true to the best of my knowledge and belief, no part of it false and nothing material has been concealed there from.

On this 12 February 2025

Deponent
जिलाधिकारी
देहरादून

Identified by

affidavit is sworn before me by Savin Bansal
is identified by Rajeev Acharya
Dehradun on 11/2/2025

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

RAJEEV ACHARYA Advocate
D.G.C. (CIVIL) D.DUN
Reg. No.:- UK2076/2004
UP 798/1991
Mobile: 9719054541

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

Item No. 05 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 16.12.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the Applicant.

Respondents: Ms. Anjali Rajput Advocate for Respondent No. 1.
Mr. Savin Bansal DM, Dehradun (through VC).
Mr. Kaushal Gautam and Ms. Snehpreet Kaur, Advocates for Respondent No. 3 (through VC).
Dr. Aman Rab and Mr. Devang Mishra Advocates for Respondent No. 4.
Mr. Gaurav Kumar, Municipal Commissioner Dehradun (through VC).
Dr. R. Rajesh Kumar, Secretary Irrigation.
Mr. Vinay Garg and Ms. Neetu Rawat, Advocates for Respondent no. 8.

ORDER

1. Mr. Niranjan Bagchi resident of B-605, Panache Valley, Dehradun has sent letter petition dated 11.04.2022 to this Tribunal, which was treated and registered as Original Application No. 417/2022, complaining about unauthorized raising of jhuggis on the dry river bed of river Rispana in Dehradun.

जिलाधिकारी
देहरादून

2. This Tribunal, vide order dated 12.07.2022, constituted a Joint Committee to verify the factual position and take remedial action by following due process of law and submit its report.

3. Report of Joint Committee was filed vide email dated 03.11.2022 mentioning about encroachment in the land of river Rispana and discharge of untreated sewage/effluent in the same.

4. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, this Tribunal impleaded (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Principal Secretary, Urban Department, State of Uttarakhand (3) State PCB, (4) Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun, and (5) District Magistrate, Dehradun as respondents no. 1 to 5. In the course of hearing, this Tribunal impleaded (6) Uttarakhand Payjal Nigam, Dehradun, (7) Uttarakhand Jal Sansthan, Dehradun and (8) Mussoorie Dehradun Development Authority as Respondents No. 6, 7 and 8.

5. Pursuant to notices, reports/replies were filed by the respondents which are on record of the case.

6. This Tribunal observed that three substantial questions relating to environment are involved in the present case:-

i. Demarcation of Flood Plain Zone of River Rispana;
ii. Identification of encroachments on river bed of River Rispana and removal thereof; and
iii. Tapping discharge of untreated sewage in river Rispana.

जिलाधिकारी
देहरादून

7. So far as demarcation of Flood Plain Zone of river Rispana is concerned, statement was made by the District Magistrate, Dehradun on 13.05.2024 that the demarcation of Flood Plain Zone will be completed within two months. Report dated 22.07.2024 was filed by the District Magistrate, Dehradun. Vide order dated 24.07.2024 this Tribunal granted two months further time to State of Uttarakhand to complete the work of demarcation of Flood Plain Zone in the light of observations made with further direction that in case of non-compliance, the Chief Secretary, Uttarakhand shall appear before the Tribunal on the next date.

8. This Tribunal noticed in its order dated 15.10.2024 that interim Notification under Section 8 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 has been published and directed submission of further progress report regarding number of objections received and time required for disposal of the objections and also ordered personal appearance of the District Magistrate, Dehradun and the Principal Secretary, Irrigation Department.

9. Progress report dated 13.12.2024 has been filed. In the progress report it has been mentioned that total number of 132 objections have been received and approximately 45 days are required for disposal of the same.

10. Further progress report regarding further steps taken be filed by the District Magistrate, Dehradun at least two days before the next date of hearing hereby fixed.

11. So far as the question of identification of encroachments in the river bed of River Rispana is concerned, it may be observed that the Joint Committee has mentioned in its report that number of *jhuggi basties* have been set up in dry river bed of River Rispana.

जिलाधिकारी
देहरादून

12. Reply has been filed by UKPCB vide email dated 06.02.2024. In the reply it has been mentioned that a meeting under the Chairmanship of Principal Secretary, Government of Uttarakhand was held on 24.08.2023 and considering the conflict between the provisions of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Local Bodies and Authorities Act, 2018 and the notification dated 07.10.2016 issued by Ministry of Jal Shakti, Government of India, letters were written to the State Law Department for legal opinion.

13. On 13.05.2024 the Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun made statement that all the encroachments made on Flood Plain Zone of river Rispana will be removed by 30.06.2024. Report dated 23.07.2024 has been filed by Municipal Corporation, Dehradun. In the report it was mentioned that the task force identified 89 encroachments out of which 69 encroachments have been removed. Mr. Raj Panjwani, Senior Advocate appeared on behalf of Municipal Corporation, Dehradun and stated that remaining encroachments which are identified by Task Force shall also be removed within one month. He also stated that with respect to protected category of encroachers, recommendation for steps for rehabilitation by State Government shall be made within two months and, thereafter, final steps shall be completed expeditiously. Report dated 14.10.2024 has been filed by Municipal Corporation, Dehradun. In the report it has been submitted that 20 encroachments were exempted for removal and 69 encroachments were removed.

14. The Commissioner, Municipal Corporation has appeared before this Tribunal through VC and submitted that 69 encroachments have been removed as mentioned in report filed vide email dated 23.07.2024 and 14.10.2024. Photographs have been enclosed in support thereof.

जिलाधिकारी
देहरादून

15. We have seen the photographs and we find from the photographs that the encroachments have been partially removed.

16. On being asked, the Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun could not disclose as to when the *jhuggi basties* have been set up in dry river bed of river Rispana, how there could be partial removal of alleged unauthorized encroachments.

17. It may be observed here that in the course of proceedings, it has been pointed out that the Uttarakhand legislature has enacted the Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation, Settlement and Prevention of Encroachment of the slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016 and the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018. Under Sections 4(2) and 4(3) of the above said Act, directions have been issued to maintain *status quo* and in view thereof, no action for demolition/removal of encroachments can be taken against the encroachers/owners/occupiers of *jhuggies* established in the river bed of river Rispana till the year 2024.

18. As mentioned in the reply filed by UKPCB vide email dated 06.02.2024 (as noticed above), reference was made to the State Law Department for legal opinion, but no further reply has been filed regarding legal opinion furnished by State Law Department and further action taken on the same.

19. We are of the considered view that in case of conflict between the provisions of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Local Bodies and Authorities Act, 2018 and the notification dated 07.10.2016 issued by Ministry of Jal Shakti, Government of India, the latter having being issued under the Environment Protection Act, 1986 will prevail as Section 24 of

जिलाधिकारी
देहरादून

the Environment Protection Act, 1986 contains provisions to the effect that that in case of any such conflict the Environment Protection Act, 1986 will prevail. Section 24 of the Environment Protection Act, 1986 reads as under:-

> "24. *Effect of other laws.* □
>
> *(1)Subject to the provisions of sub-section (2), the provisions of this Act and the rules or orders made therein shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act.*
>
> *(2)Where any act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under any other Act then the offender found guilty of such offence shall be liable to be punished under the other Act and not under this Act."*

20. No residential establishments can be set up in the dry riverbed of river Rispana as no permanent construction can be raised within prohibited Flood Plain Zone of river Rispana and in view thereof jhuggi basties established on dry riverbed within the prohibited Flood Plain Zone of river Rispana will be liable to be demolished. In view of the Section 24 of the Environment Protection Act 1986, the above mentioned legislations enacted by Uttarakhand Legislature ordering maintenance of status quo will not be *prima facie* legal and binding to the extent of such conflict.

21. The Chief Secretary, Government of Uttarakhand is directed to place the matter before the Government of Uttarakhand for initiating appropriate legislative and executive measures within one month for removal of the encroachments from the river bed/Flood Plain Zone of river Rispana for requisite compliance with the provisions of the Environment Protection Act, 1986, Rules made and Notifications issued under the same and directions given by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal qua prohibition of construction within Flood Plain Zone.

जिलाधिकारी
देहरादून

22. State of Uttarakhand and its Authorities-Respondents No. 1 ,2, 4, 5 and 8 are directed to file their responses by way of affidavits, at least three days before the next date of hearing hereby fixed, regarding the steps taken for removal of the encroachment in the riverbed of river Rispana.

23. We also consider personal appearance of the Principal Secretary, Urban Development, Principal Secretary, Irrigation, Commissioner of Municipal Corporation, Dehradun, District Magistrate, Dehradun and Vice Chairman, Mussoorie Dehradun Development Authority to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved and they are accordingly directed to remain present before the Tribunal on the next date of hearing hereby fixed.

24. In reply filed by UKPCB vide email dated 06.02.2024, it was mentioned that the work of tapping of 177 drains of River Rispana is being carried out by Uttarakhand Payjal Nigam amd Uttarakhand Jal Sansthan, Dehradun and monitoring of performance of Sewage Treatment Plants is being carried out by UKPCB.

25. However, no up to date progress report has been filed by UKPCB, Payjal Nigam and Uttarakhand Jal Sansthan, Dehradun.

26. UKPCB, Payjal Nigam and Uttarakhand Jal Sansthan, Dehradun are directed to file further progress report at least three days before the date of hearing next date of hearing fixed giving all requisite details regarding steps taken for tapping of discharge of untreated sewage/effluent in River Rispana and also regarding functioning of the STPs already established and steps taken for setting up of new STPs required to be established for treatment of sewage/effluent generated.

जिलाधिकारी
देहरादून

27. List on 13.02.2025 for further proceedings/considerations/orders.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 16, 2024
Original Application No. 417/2022
AB

जिलाधिकारी
देहरादून

संख्या–941/II(2)/2024-6(40)/2024

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
ई0 पत्रावली संख्या–76975
देहरादून, दिनांकः 07 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फाल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉ और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण

जिलाधिकारी

पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोपरि।

(डा० आर० राजेश कुमार)
सचिव।

ई० पत्रावली संख्या–76975, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढवाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना से सम्बन्धित विवरण विभागीय वेबसाईट एवं NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (देहरादून)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

जिलाधिकारी
देहरादून

अधिसूचना संख्या–941/2024, ई0पत्रावली संख्या–76975, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

जनपद देहरादून, तहसील सदर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक।

रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की निर्बन्धित (Restricted) क्षेत्रों की अनुसूची–02

क्र0 सं0	ग्राम/मौजा का नाम	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाता खतोनी संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल (है0 में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मकड़ैती	72 (ग)		1–क. रा0 भूमिधर	41	0.0400	
2.		72 (घ)		6.1 जलमग्न	52	0.1300	
3.		73		1. क. स0 भूमिधर	41	0.0400	
4.		74 (क)		5.3.	46	0.0360	
5.		98 (घ)		5.3.	46	0.0900	
6.		162 (ख)		Non ZA		0.4000	
7.		179		Non ZA		0.2400	
8.		172 (घ)				0.2000	
9.		181		6–1.जलमग्न		0.0800	
10.		**Total**				**1.256**	
1.	हतडीवाला	16		श्रेणी–15 (जलमग्न)	4 खेवट स–1	0.5200	
		Total				**0.5200**	
1.	वीरगीरवाली	98		श्रेणी–15–1 (जलमग्न)	खाता स–10 खेवट स–1	0.0080	
2.		106		1–क स भूमिधर	16	0.0050	
3.		99				0.0040	
		Total				**0.017**	
1.	केरवान करनपुर	1 (ख)	6.1 जलमग्न	6–(1)	53	0.2340	
2.		7 (ख)	6.1 जलमग्न	6–(1)	53	0.0910	
3.		371 (ख)	6.1 जलमग्न	6–(1)	53	0.0490	
4.		372	6.1 जलमग्न	6–(1)	53	0.2200	
5.		4 (क)	6.1 जलमग्न	6–(1)	53	0.1400	
6.		5 (ख)	5–3 ख जंगल झाडी	5–3 ख	50	0.1810	
7.		373 (ङ)	5–3 ख जंगल झाडी	5–3 ख	50	0.0340	
		2	6.1 जलमग्न	6–(1)	53	0.1290	
8.		3 मि.	–	श्रेणी–1–क	30	0.0600	
9.		4 ड.	–	श्रेणी–1–क	30	0.0590	
10.		3 मि.	–	–	31	0.0910	
11.		12	–	–	26	0.1810	
12.		30	–	–	32	0.0320	
13.		31 क	–	–	14	0.0090	
14.		31 ख	–	–	26	0.0090	
15.		33	–	–	26	0.080	
16.		8 ग	–	श्रेणी–5–3 ख	50	0.3010	
17.		165	–	श्रेणी–5–3 ख	50	0.1000	
18.		**Total**				**2.441**	
19.		1	–	6–1	469	3.000	
1.		654 क	–	5–3–ख	466	1.500	
2.	चालंग	654 ख	–	1–क	139	0.2000	
3.		655 क	–	5–3–ङ	470	0.0720	
4.		656	–	6–1	469	0.040	
5.		658	–	1–क	178	0.0240	
6.							

जिलाधिकारी
देहरादून

7.		659 क	–	1–क	83	0.0120	
8.		650 ख	–	01	1	0.0080	
9.		661	–	1–क	263	0.0040	
10.		662	–	01	01	0.0160	
11.		667	–	01	01	0.0192	
12.		669	–		121	0.016	
13.		670	–	1 क	263	0.0070	
14.		674	–	1 क	122	0.0070	
15.		675	–	01 श्रेणी	01	0.0060	
16.		676	–	1 क	281	0.0060	
17.		679 क	–	01 श्रेणी	01	0.0120	
18.		680 क	–	01 श्रेणी	01	0.0040	
19.		680 ग	–	1 क	128	0.0040	
20.		681 ग	–	5–3–उ	467	0.0040	
21.		682	–	1 क	121	0.0060	
22.		705	–	1 क	119	0.0640	
23.		725 क मि	–	1 क	119	0.0300	
24.		725 ख मि	–	1 क	151	0.0180	
25.		730	–	5–3–उ	467	0.0090	
26.		737	–	6–1	470	0.0320	
27.		732 क	–	6–1	469	1.760	
28.		732 ख	–	5–3–उ	467	0.0610	
29.		735	–	6–2	472	0.0400	
30.		736	–	6–1	470	0.0150	
31.		727	–	1–क	287	0.0100	
		Total				**6.417**	
1.	ढाकपट्टी	672		6–1–जलमग्न	690	1.7000	
2.		441		6–1–जलमग्न		0.1900	
3.		434		1–क स0 भू	80	0.01600	
4.		435		1–क स0 भू		0.0100	
5.		436		1–क स0 भू		0.0080	
6.		439		1–क स0 भू		0.1000	
7.		395		1–क स0 भू	32.	0.0100	
8.		396		NON ZA	खेवट स.–1	0.4900	
9.		440		NON ZA	खेवट स.–1	0.0320	
10.		**Total**				**2.556**	
1.	तरलानागल	285 क मि		श्रेणी–6–1 जलमग्न (नदी रिस्पना)	742	4400 वर्ग मी0 (0. 4400 है0)	
		Total				**0.4400**	
1.	किशनपुर	161 च		6–1–जलमग्न	735	1.6800	
2.		173		5.3–ख–2	730	0.1500	
3.		211 क		5.3.5. बंजर	732	0.2260	
4.		211 ग		6.1. जलमग्न	735	0.0600	
5.		211 अ		6.1. जलमग्न	734	0.0450	
6.		211 इ		1. क. स0 भू	511	0.6320	
7.		211 घ		1. क. स0 भू	244	0.7073	
8.		211 च		1. क. स0 भू	136	0.0300	
		Total				**3.5303**	
1.	धोरनखास	1 मि0	–	6–1 श्रेणी	1292	2.1750	
		Total				**2.1750**	
1.	जाखन	886		6–1–जलमग्न	881	0.9000	
2.		999		6–1–जलमग्न	881	0.5600	
3.		1121		6–1–जलमग्न	881	1.3000	
4.		1076		5–3–उ बंजर	878	0.0600	
		Total				**2.82**	

जिलाधिकारी
देहरादून

1.	चीडोवाली	93 क मि	–	6–2 श्रेणी	453	3.4960	
2.		94	–	6–2 श्रेणी	453	0.0300	
3.		95	–	6–2 श्रेणी	453	0.0160	
4.		116 क	–	6–2 श्रेणी	453	0.0320	
		Total				3.574	
1.	कण्डोली	1 ड़	जलमग्न भूमि/नदी	श्रेणी–6–1	1001	2.0995	
		Total				2.0995	
1.	अधोईवाला	146 गि	–	6–2	1641	0.200 है0 (लगभग)	
2.			–	1–क	30		
3.		160 मि	–	6–2	1641	0.1800 (लगभग)	
4.		161 क ख	–	1–क	1317	0.100 (लगभग)	
5.			–	1–क	2		
6.		162 क	–		37	0.1600 (लगभग)	
7.		ख	–	1–क	377		
8.		ग	–		554		
9.			–		652		
10.			–		863		
11.			–		873		
12.		–	–		1247		
13.			–		1367		
14.			–		1631		
15.			–		1054		
16.			–		1142		
17.			–		139	0.0800 (लगभग)	
18.		164 क	–	1–क	345, 400		
19.			–		575, 555		
20.			–		638, 669		
21.			–		841, 1053		
22.			–		1480, 371		
23.			–		1130		
24.			–		1631		
25.		27 मि	–	6–2	1641	0.1600 (लगभग)	
26.		28 मि	–		1450	0.500 (लगभग)	
27.			–	1–क	357		
28.			–		780		
29.		28 मि	–	6–1 जलमग्न	1640	0.3590 (लगभग)	
30.		529 मि	–	6–1 जलमग्न	1640	1.900 है0 (लगभग)	
31.		110 मि	–	6–2 जलमग्न	1640	2.900 है0 (लगभग)	
		Total				6.539	
1.	डालनवाला	544 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	2033 धर्मपुर	1.900 है0 (लगभग)	
2.		102 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	58 डालनवाला	0.3200 है0 (लगभग)	
3.		86 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	58 डालनवाला	0.500 है0 (लगभग)	
4.		101 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	59 डालनवाला	0.100 है0 (लगभग)	
5.		102 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	58	6.400 है0 (लगभग)	
6.		49 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	59	0.200 है0 (लगभग)	
7.		2 मि		श्रेणी 6–1 जलमग्न	58	0.3200 है0 (लगभग)	
		Total				12.12	

जिलाधिकारी
देहरादून

1.	धर्मपुर	545 मि		श्रेणी 1–क	20,21,35	0.600 हे0 (लगभग)	
2.					41,46		
3.					47,62		
4.					68,137		
5.					160,161		
6.					162,238		
7.					243,265		
8.					361		
9.					363		
10.					459		
11.					461		
12.					5211		
13.					771		
14.					799		
15.					838		
16.					957		
17.					1010		
18.					1160		
19.					1221		
20.					1267		
21.					1321		
22.					1363		
23.					1424		
24.					1431		
25.					1717		
26.					1760		
27.					1804		
		Total				0.600	
1.	अजबपुर कला–1	1700 मि	–	6 (1)	3143	1.0932	
2.		1392 ख	–	6 (1)	3143	0.0900	
3.		1366 क	–	6 (1)	3143	0.3616	
4.		1391 क	–	जगन–16	3143	0.2700	
5.		1384 क	–	6 (1)	3143	0.1260	
6.		1388 क	–	6 (1)	3143	1.0500	
7.		1385	–	6 (2)	3166	0.7040	
8.		844	–	6 (1)	3143	0.6310	
9.		1374 ख	–	6 (1)	3143	0.1280	
10.		1368 क	–	6 (1)	3143	0.0300	
11.		1375	–	6 (1)	3143	0.6345	
12.		843 क	–	6 (1)	3143	0.7210	
13.		844 क	–	6 (1)	3143	0.8800	
		Total				7.2093	
1.	अजबपुर कला–2	2135	–	6 (2)	3172	2.695	
2.		2149	–	6 (2)	3157	0.2000	
3.		2148	–	6 (2)	3157	0.0175	
4.		2147	–	6 (2)	3157	0.1800	
5.		2146	–	6 (2)	3157	0.0240	
6.		2145	–	6 (2)	3157	0.1786	
7.		2144	–	6 (2)	3157	0.0056	
8.		2143	–	6 (2)	3157	0.0300	
9.		1708	–	6 (1)	3143	0.0510	
10.		2174	–	6 (1)	3143	1.0800	
11.		1706	–	6 (1)	3143	0.1080	
12.		1707	–	6 (1)	3143	0.0800	
		Total				4.6297	
1.	इन्द्रपुर	38/2 मि	6–(1) जलमग्न भूमि	6–(1)	144	2.7480	
		Total				2.7480	

जिलाधिकारी
देहरादून

1.	केदारपुर	335	–	5–3 (ड़)	802	0.0300	
2.		337	–	6 (1)	801	4.0128	
3.		338	–	5–3 (ड़)	803	0.0200	
4.		351	–	6 (1)	801	0.0310	
5.		398	–	6 (1)	801	0.5320	
6.		399	–	6 (1)	801	0.8510	
7.		400	–	6 (1)	801	0.2000	
8.		401	–	6 (1)	801	0.0240	
9.		397	–	6 (1)	801	0.0410	
		Total				5.7418	
1.	मोथरोवाला	1239 ख	–	6 (1)	1929	0.2510	
2.		1463 मि	–	6 (1) 5–3–ड	1929,1923	3.2900	
3.		1240	–	1 क	210	0.1750	
4.		1241	–	1 क	210	0.1050	
5.		1247 ख	–	6 (1)	1929	0.5100	
6.		1261 ख	–	5 (1)	1923	0.1050	
7.		1263	–	5 (1)	1923	0.0960	
8.		1262 ख	–	5 (1)	1923	0.1430	
9.		1329 ख	–	6 (1)	1929	0.2105	
10.		1328 ख	–	1 क	254	0.1320	
11.		1332 मि0	–	1 क	1551	0.1550	
12.		1338 मि0	–	1 क	1054	0.1120	
13.		1333	–	1 क	437,1041	0.3145	
14.		1335	–	1 क	1663,393	0.1540	
15.		1334	–	1 क	393	0.0850	
16.		1449	–	6 (1)	1929	0.2500	
17.		1462	–	6 (1)	1929	0.0510	
18.		1036 क	–	6 (1)	1929	0.0400	
19.		1036 ख	–	5–3–ड	–	0.9900	
20.		1034	–	6 (1)	1929	0.3000	
21.		1005	–	6 (1)	1929	0.1200	
22.		1006	–	6 (1)	1929	0.1000	
23.		1007	–	6 (1)	1929	0.9100	
24.		1008	–	6 (1)	1929	0.1020	
25.		1004	–	6 (1)	1929	0.1200	
26.		1003	–	6 (1)	1929	0.0900	
27.		1002	–	6 (1)	1929	0.2509	
28.		835	–	6 (1)	1929	0.0150	
29.		854	–	6 (1)	1929	0.3100	
30.		855	–	6 (1)	1929	0.0810	
31.		852 ख	–	6 (1)	1929	0.2800	
32.		857	–	6 (1)	1929	0.2010	
33.		850	–	6 (1)	1929	0.0800	
34.		851	–	6 (1)	1929	0.0500	
35.		1264	–	6 (1)	1929	0.0410	
36.		849	–	6 (1)	1929	0.0340	
		Total				10.2539	

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

जिलाधिकारी
देहरादून

अधिसूचना संख्या– 941 /2024, ई0पत्रावली संख्या–76975, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा में समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

जनपद देहरादून, तहसील सदर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से गोथरोवाला संगम तक। रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की प्रतिषिद्ध (Prohibited) क्षेत्रों की अनुसूची–01

क्र0 सं0	ग्राम/मौजा का नाम	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाता खतोनी संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल (है0 में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मकड़ैती	72 (ग)		1–क–रा0 भूमिधर	41	0.0360	
2.		72 (घ)		जलमग्न 6.1	52	0.1200	
3.		73		1–क–रा0 भूमिधर	41	0.0360	
4.		74 (क)		5.3–	46	0.0320	
5.		98 (घ)		5.3–	46	0.0820	
6.		162 (ख)		Non ZA	–	0.3800	
7.		179		Non. ZA.		0.2230	
8.		172 (घ)		Non. ZA. जलमग्न		0.1830	
9.		181		6.1 जलमग्न		0.0720	
		Total				1.164	
1.	हतडीवाला	16		श्रेणी–15 (जलमग्न)	4 खेवट स–1	0.4850	
		Total				0.4850	
1.	वीरगीरवाली	98		श्रेणी–15–1 (जलमग्न)	खाता स–10	0.0070	
2.		106		श्रेणी–15–1 (जलमग्न)	खेवट स–1	0.0040	
3.		99		1–क स भूमिधर	16	0.0040	
		Total				0.015	
1.	केरवान करनपुर	1 (ख)	6–1 जलमग्न भूमि	श्रेणी–6. (1)	53	0.2110	
2.		7 (ख)	6–1 जलमग्न भूमि	श्रेणी–6. (1)	53	0.0800	
3.		371 (ख)	6–1 जलमग्न भूमि	श्रेणी–6. (1)	53	0.0380	
4.		372	6–1 जलमग्न भूमि	श्रेणी–6. (1)	53	0.2010	
5.		4 (क)	6–1 जलमग्न भूमि	श्रेणी–6. (1)	53	0.1300	
6.		5 (ख)	5–3 ख जंगल झाडी	(5–3 ख)	50	0.1710	
7.		373 (ङ)	5–3 ख जंगल झाडी	(5–3 ख)	50	0.0290	
8.		2	6–1 जलमग्न भूमि	श्रेणी–6. (1)	53	0.1290	
9.		3 मि.	–	श्रेणी–1–क	30	0.0600	
10.		4 ङ.	–	श्रेणी–1–क	30	0.0590	
11.		3 मि.	–	श्रेणी–1–क	31	0.0810	
12.		12	–	श्रेणी–1–क	26	0.1780	
13.		30	–	श्रेणी–1–क	32	0.0320	
14.		31 क	–	श्रेणी–1–क	14	0.0060	
15.		31 ख	–	श्रेणी–1–क	26	0.0060	
16.		33	–	श्रेणी–1–क	26	0.0080	
17.		8 ग	–	श्रेणी–5–3 (ख)	50	0.2700	
18.		165	–	श्रेणी–5–3 (ख)	50	0.0930	
		Total				1.782	

जिलाधिकारी
देहरादून

1.	चालंग	1		6–1	469	2.800	
2.		654 क	–	5–3–ख	466	1.300	
3.		654 ख	–	1–क	139	0.1850	
4.		655 क	–	5–3–ड	470	0.0650	
5.		656	–	6–1	469	0.0320	
6.		658	–	1–क	178	0.0200	
7.		659 क	–	1–क	83	0.0100	
8.		659 ख	–	01	1	0.0060	
9.		661	–	1–क	263	0.0030	
10.		662	–	01	01	0.0140	
11.		667	–	01	01	0.0160	
12.		669	–		121	0.0140	
13.		670	–	1 क	263	0.0060	
14.		674	–	1 क	122	0.0060	
15.		675	–	01 श्रेणी	01	0.0050	
16.		676	–	1 क	281	0.0050	
17.		679 क	–	01 श्रेणी	01	0.0100	
18.		680 क	–	01 श्रेणी	01	0.0030	
19.		680 ग	–	1 क	128	0.0030	
20.		681 ग	–	5–3–ड	467	0.0030	
21.		682	–	1 क	121	0.0050	
22.		705	–	1 क	119	0.0580	
23.		725 क मि	–	1 क	119	0.0260	
24.		725 ख मि	–	1 क	151	0.0150	
25.		730	–	5–3–ड	467	0.0070	
26.		737	–	6–1	470	0.0300	
27.		732 क	–	6–1	469	1.660	
28.		732 ख	–	5–3–ड	467	0.0580	
29.		735	–	6–2	472	0.0380	
30.		736	–	6–1	470	0.0140	
31.		727	–	1–क	287	0.0080	
		Total				7.0062	
1.	ढाकपट्टी	672		6–1–जलमग्न	690	1.6800	
2.		441		6–1–जलमग्न		0.1830	
3.		434		1–क स0 भूमिधर	80	0.0150	
4.		435		1–क स0 भूमिधर		0.0090	
5.		436		1–क स0 भूमिधर		0.0075	
6.		439		1–क स0 भूमिधर		0.0960	
7.		395		1–क स0 भूमिधर	32.	0.0060	
8.		396		NON ZA	खेवट स.–1	0.4800	
9.		440		NON ZA	खेवट स.–1	0.0300	
		Total				2.5065	
1.	तरलानागल	285 क मि		श्रेणी–6–1 जलमग्न (नदी रिस्पना)	742	4136 वर्ग मी0 (0.4136 है0)	
		Total				0.4136	
1.	किशनपुर	161 च		6–1–जलमग्न	735	1.6300	
2.		173		5.3. ख–2	730	0.1400	
3.		211 क		5.3.5. बंजर	732	0.2200	
4.		211 ग		6–1–जलमग्न	735	0.0570	
5.		211 अ		6–1–जलमग्न	734	0.0410	
6.		211 ड़		1. क. स0 भूमिधर	511	0.6120	
7.		211 घ		1. क. स0 भूमिधर	244	0.7000	
8.		211 च		1. क. स0 भूमिधर	136	0.0280	
		Total				3.428	

जिलाधिकारी
देहरादून

	धौरनखास	1 मि0	–	6-1 श्रेणी	1292	2.0860	
		Total				2.0860	
1.	जाखन	886		6-1-जलमग्न	881	0.8360	
2.		999		6-1-जलमग्न	881	0.5350	
3.		1121		6-1-जलमग्न	881	1.2100	
4.		1076		5-3-ड बंजर	878	0.0560	
		Total				2.637	
1.	चीडोवाली	93 क मि	–	6-2 श्रेणी	453	3.3450	
2.		94	–	6-2 श्रेणी	453	0.0270	
3.		95	–	6-2 श्रेणी	453	0.0140	
4.		116 क	–	6-2 श्रेणी	453	0.0290	
		Total				3.415	
1.	कण्डोली	1 ड़	जलमग्न भूमि/नदी	श्रेणी-6-1	1001	2.0995	
		Total				2.0995	
1.	अधोईवाला	146 मि	–	6-2	1641	0.1200 (लगभग)	
2.			–	1-क	30		
3.		160 मि	–	6-2	1641	0.1660 (लगभग)	
4.		161 क ख	–	1-क	1317	0.080 (लगभग)	
5.			–	1-क	2	0.1400 (लगभग)	
6.		162 क	–		37		
7.		ख	–	1-क	377		
8.		ग	–		554		
9.			–		652		
10.			–		863		
11.			–		873		
12.		–	–		1247		
13.			–		1367		
14.			–		1631		
15.			–		1054		
16.			–		1142		
17.			–		139	0.0600 (लगभग)	
18.		164 क	–	1-क	345, 400		
19.			–		575, 555		
20.			–		638, 669		
21.			–		841, 1053		
22.			–		1480, 371		
23.			–		1130		
24.			–		1631		
25.		27 मि	–	6-2	1641	0.1000 (लगभग)	
26.		28 मि	–		1450	0.300 (लगभग)	
27.			–	1-क	357		
28.			–		780		
29.		28 मि	–	6-1 जलमग्न	1640	0.3090 (लगभग)	
30.		529 मि	–	6-1 जलमग्न	1640	1.75 है0 (लगभग)	
31.		110 मि	–	6-2 जलमग्न	1640	2.70 है0 (लगभग)	
		Total				5.725	
1.	धर्मपुर, डालनवाला	102 मि	–	6-1 जलमग्न	58	6.100 है0 (लगभग)	
2.		49 मि	–	6-1 जलमग्न	59	0.1800 है0 (लगभग)	
3.		2 मि	–	6-1 जलमग्न	58	0.2900 है0 (लगभग)	

जिलाधिकारी
देहरादून

[illegible]		544 मि					
6.		102 मि	–				
7.		86 मि	–	1–6 जलमग्न	2033 धर्मपुर	1.7500 है0	
8.		101 मि	–	1–6 जलमग्न	2033 धर्मपुर	2.5500 है0	
			–	1–6 जलमग्न	68 डालनवाला		
9.				6–1 जलमग्न	68 डालनवाला	0.4500 है0	
1.		Total			69 डालनवाला	0.800 है0	
2.		545 मि					
3.						12.12	
4.	धर्मपुर			श्रेणी 1–क	20,21,35	0.5500 है0 (लगभग)	
5.					41,46		
6.					47,52		
7.					68,137		
8.					160,161		
9.					162,238		
9.					243,205		
10.					361		
11.					363		
12.					459		
13.					481		
13.					5211		
14.					771		
15.					1010		
16.					1160		
17.					1221		
18.					1267		
18.					1321		
19.					1363		
20.					1424		
21.					1431		
22.					1717		
23.					1760		
24.					1804		
		Total				0.5500	
1.		1700 मि	–	6 (1)	3143	1.0010	
2.	अजबपुर कला–1	1392 ख	–	6 (1)	3143	0.0850	
3.		1366 क	–	6 (1)	3143	0.3410	
4.		1391 क	–	जमन–15	3143	0.2630	
5.		1384 क	–	6 (1)	3143	0.1200	
6.		1386 क	–	6 (1)	3143	1.6001	
7.		1385	–	6 (2)	3156	0.7000	
8.		844	–	6 (1)	3143	0.5100	
9.		1374 ख	–	6 (1)	3143	0.1200	
10.		1368 क	–	6 (1)	3143	0.0100	
11.		1375	–	6 (1)	3143	0.6300	
12.		843 क	–	6 (1)	3143	0.6210	
13.		844 क	–	6 (1)	3143	0.8100	
14.		Total				6.2441	

जिलाधिकारी
देहरादून

	अजबपुर कला-2	2135	–	6 (2)	3172	2.5950	
2.		2149	–	6 (2)	3157	0.1630	
3.		2148	–	6 (2)	3157	0.0100	
4.		2147	–	6 (2)	3157	0.1570	
5.		2146	–	6 (2)	3157	0.0230	
6.		2145	–	6 (2)	3157	0.1700	
7.		2144	–	6 (2)	3157	0.0010	
8.		2143	–	6 (2)	3157	0.0210	
9.		1708	–	6 (1)	3143	0.0410	
10.		2174	–	6 (1)	3143	1.1200	
11.		1706	–	6 (1)	3143	0.0910	
12.		1707	–	6 (1)	3143	0.0320	
		Total				**4.424**	
1.	इन्द्रपुर	38/2 मि	6–(1) जलमग्न भूमि	6–(1)	144	2.7480	
		Total				**2.7480**	
1.	केदारपुर	335	–	5–3 (ड़)	802	0.0210	
2.		337	–	6 (1)	801	4.0000	
3.		338	–	5–3 (ड़)	803	0.0120	
4.		351	–	6 (1)	801	0.0200	
5.		398	–	6 (1)	801	0.5300	
6.		399	–	6 (1)	801	0.8100	
7.		400	–	6 (1)	801	0.1600	
8.		401	–	6 (1)	801	0.0100	
9.		397	–	6 (1)	801	0.0400	
		Total				**5.6030**	
1.	मोथरोवाला	1239 ख	–	6 (1)	1929	0.2000	
2.		1463 मि	–	6 (1) 5–3–ड	1929,1923	3.016	
3.		1240	–	1 क	210	0.1600	
4.		1241	–	1 क	210	0.0480	
5.		1247 ख	–	6 (1)	1929	0.0400	
6.		1261 ख	–	5 (1)	1923	0.0500	
7.		1263	–	5 (1)	1923	0.0640	
8.		1262 ख	–	5 (1)	1923	0.0470	
9.		1329 ख	–	6 (1)	1929	0.1340	
10.		1328 ख	–	1 क	254	0.0720	
11.		1332 मि0	–	1 क	1551	0.1080	
12.		1338 मि0	–	1 क	1054	0.1000	
13.		1333	–	1 क	437,1041	0.2845	
14.		1335	–	1 क	1663,393	0.1410	
15.		1334	–	1 क	393	0.080	
16.		1449	–	6 (1)	1929	0.2500	
17.		1462	–	6 (1)	1929	0.0300	
18.		1036 क	–	6 (1)	1929	0.0400	
19.		1036 ख	–	5–3–ड	–	0.9700	
20.		1034	–	6 (1)	1929	0.3000	

जिलाधिकारी
देहरादून

21.		1005	—	6 (1)	1929	0.1200	
22.		1006	—	6 (1)	1929	0.0900	
23.		1007	—	6 (1)	1929	0.0800	
24.		1008	—	6 (1)	1929	0.0500	
25.		1004	—	6 (1)	1929	0.1200	
26.		1003	—	6 (1)	1929	0.0900	
27.		1002	—	6 (1)	1929	0.2500	
28.		835	—	6 (1)	1929	0.0150	
29.		854	—	6 (1)	1929	0.0120	
30.		855	—	6 (1)	1929	0.0600	
31.		852 ख	—	6 (1)	1929	0.2200	
32.		857	—	6 (1)	1929	0.1600	
33.		850	—	6 (1)	1929	0.0650	
34.		851	—	6 (1)	1929	0.0450	
35.		1264	—	6 (1)	1929	0.0410	
36.		849	—	6 (1)	1929	0.0340	
		Total				7.5865	

(डा0 आर0 राजेश कुमार).
सचिव।

जिलाधिकारी
देहरादून

आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–941/II(2)/2024-6(40)/2024 सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 ई पत्रावली सं0–76975 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर 2024 के संबंध में, कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून में प्राप्त 156 आपत्तियों कि सुनवाई उत्तराखण्ड शासन, सिंचाई अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1488/II–2014/06(103)/2013 देहरादून, दिनांक 06.07.2015 के द्वारा गठित समिति के कम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2024, 14.12.2024 एवं 21.12.2024 को सुनवाई की गयी। सुनवाई हेतु समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1– उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधि0 देहरादून।
2– अपर नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, देहरादून।
4– उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।
5– प्रभारी अधिकारी, उपजिलाधिकारी डोईवाला।
6– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, देहरादून।
7– प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग मसूरी।
8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून।
9– अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।
10– अधिशासी अभियन्ता जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद।
11– आपत्तिकर्ता (1 से 156) संख्या

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों/समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रभारी अधिकारी, उप जिलाधिकारी डोईवाला द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी/बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिकारी देहरादून कार्यालय में कुल 156 आपत्तियां लिखित रूप में प्राप्त हुई। जिनमें से दिनांक 10.12.2024 को 02 आपत्तिकर्ता, दिनांक 14.12.2024 को 40 आपत्तिकर्ता एवं दिनांक 21.12.2024 को 04 आपत्तिकर्ता अर्थात कुल 46 आपत्तिकर्ताओं की भौतिक रूप से सुनवाई की गई एवं उनका निस्तारण किया गया।

बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को अवगत कराया गया कि प्राप्त कुल 156 आपत्तियों में 114 आपत्तियां, 18 आपत्तियां, 08 आपत्तियां, 07 आपत्तियां समान प्रकृति की 07 आपत्तियां अलग–अलग प्रकार की एवं 02 आपत्तियां बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण से सम्बन्धित नही है।

जिलाधिकारी
देहरादून

दिनांक 10.12.2024 को आहुत बैठक में आपत्तियों के निरस्तारण हेतु प्रथम् सुनवाई का विवरण एवं निरस्तारण निम्नानुसार है–

क0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का विवरण	समिति के सदस्यो द्वारा आपत्ति का निराकरण
1	श्री आशीष चन्द एवं श्री अजय कुमार	यह कि हमारी सम्पत्ति/भूमियां मलिन बस्ती में नहीं है तथा हम सभी स्थानीय निवासी है, जो कि कई वर्षों से अपना रोजगार चला रहे हैं। यह कि हमारे द्वारा पूर्व में रिस्पना नदी के किनारे कई सौ वृक्ष लगाये गये हैं, जो कि आज बहुत बड़े हो गये हैं। यह कि हमारे द्वारा नदी के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। यह कि शिखर फाल का सारा जल देहरादून जल संस्थान में जा रहा है तथा नदी में जलस्तर बहुत कम रहता है, जिस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण महोदय द्वारा किया जाना आवश्यक है।	अधिशासी अभियन्ता सिचांई विभाग द्वारा आपत्ति के प्रार्थना पत्र मे सभी 08 संख्या में आपित्तकर्ताओं का नाम, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 25 एवं 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति की सीमा मे समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजिका विवरण मे नाम अंकित नही है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सभी आपत्तिकर्ता नदी की सीमा के अन्तर्गत भूस्वामी नही है।
2	खुर्शीद अहमद	A report of Flood Zone Area on both sides of RISPANA River is Publically updated by Notification- 440/LBC/2024 and being submitted in pursuance of NGT order. This Report is basically not clear to general public as it shows no dimensions from mid of River or retaining wall constructed alongside of River. How could the general public idendtify the area of Flood by Khasra numbers with proper dimenssions. Please keep the proper plan with dimension at a display so that the general public understand the effected area under Flood. Please provide a copy of proposed flood plain plan with dimensions to us to file our objections in this regard with in seven days of	बाढ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन नदी के मध्य बिन्दु और दोनो तरफ बने सुरक्षा दीवारों के परिपेक्ष में न करते हुये 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति पर आंकलित किये गये Discharge को Hac-ras Model पर रन करते हुये, बाढ फैलाव के आधार पर नदी की वर्तमान स्थिति पर सीमांकन किया गया है। 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति की सीमा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न खसरों का विवरण Notification के साथ प्रकाशित किया गया है। बाढ मैदान परिक्षेत्रण के अध्ययन के उपरान्त तैयार KML sheet जिसमें 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ

जिलाधिकारी
देहरादून

		receipt of this mail and oblige.	आवृत्ति की सीमा की लाईन स्पष्ट रूप से लगाई गई है। बाढ मैदान परिक्षेत्रण के नक्शा (KMLFile) को दिनांक 10.12.2024 NIC Dehradun की Website पर Upload की गई है।

दिनांक 14.12.2024 को आहुत बैठक में आपत्तियों के निस्तारण हेतु द्वितीय सुनवाई का विवरण एवं निस्तारण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का विवरण	समिति के सदस्यो द्वारा आपत्ति का निराकरण
03	हेमा	इस अधिसूचना के साथ कोई नक्शा नहीं दिया गया है और न ही कोई समय या जगह की जानकारी दी गयी है जहाँ पर हम नक्शा को देख पाएंगे। प्रस्तावित अधिसूचना द्वारा चिन्हित क्षेत्र कहां-कहां पर है, वह इस सूची में समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए यह अधिसूचना अधूरी है और चिन्हत जगह पर टिप्पणी करने में हम अस्मर्थ है। आपसे आग्रह है कि इस अधिसूचना को दोबारा जारी किया जाये नक्शे के साथ, और आपत्तियों के लिए न्यूनतम साठ दिन का समय दिया जाये।	अधिशासी अभियन्ता सिचांई विभाग द्वारा आपत्तिकर्ताओ को बताया गया कि बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अन्तरिम अधिसूचना उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम- 2012 में दिये गये निहित प्राविधान के आधार पर की गयी है एवं बाढ मैदान परिक्षेत्रण के नक्शा (KMLFile) को दिनांक 10.12.2024 NIC Dehradun की Website पर Upload की गई है। अधिसूचना मे 60 दिन का समय आपत्ति दर्ज करने हेतु दिया गया है।
04	शंकरगोपाल		
05	सुनिता देवी		
06	राम दास		
07	देवप्रातप शाहू		
08	कमलेश शाहनी		
09	गणेश राय	इस अधिसूचना में इस बात का जिक्र नहीं है कि इस क्षेत्र में बड़ी जन आबादी रह रही है। उनके कार्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की अस्पष्टता से ऐसी स्थिति बन जाएगी कि किसी भी समय में किसी भी निवासी पर कार्यवाही की जा सकती है। इससे मनमानी और भ्रष्टाचार बढ़ने भी पूरी सम्भावना है।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना मे नदी दोनो तटों मे 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हत किया गया है। बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 में दिये गये निहित प्राविधान के आधार पर किया गई है।
10	अनिल कुमार		
11	बिना देवी		
12	बलविर		
13	रीता राय	इस अधिसूचना में क्षेत्र के निवासियों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पर्यावरण और नदी के लिए खतरनाक कार्य जेसे खनन, एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए प्रतिबद्ध क्षेत्र	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण से सम्बन्धित सभी कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 में दिये गये निहित प्राविधानों के आधार पर
14	विकास कुमार सैनी		

जिलाधिकारी
देहरादून

15	अरविन्द सैनी	में भी बिना कोई शर्तों के अनुमति दी गयी है। खास तौर पर एलिवेटेड रोड से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस विनाशकारी परियोजना को इस रूप में अधिसूचना द्वारा पहले ही खुली छूट देना नाजायज और नुकसानजनक है।	किये गये है तथा प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्र में दिये गये अनुमन्य कार्यों का विवरण शासन द्वारा अधिसूचना में सूचित है।
16	राजकुमार		
17	मनोज राम		
18	ममता राकेश	उत्तराखण्ड नगर निकायों और प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान अधिनियम–2018 का 2024 का अध्यादेश द्वारा संशोधित होने के बाद इस क्षेत्र में अनेक ऐसे लोग है, जिनका पुनर्वास या नियमितीकरण के लिए सरकार को अगले तीन साल में कदम उठाना है। इसके साथ–साथ हम आपके संज्ञान में इस बात को भी लाना चाहेंगे कि उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम–2012 की धारा 11 (3) के अनुसार, बाढ़ मैदान क्षेत्र से प्रभावित मोहल्लों का पुनर्वास भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए इसलिए इस पर जिक न करे सिर्फ खनन और एलिवेटेड रोड जैसे कार्यों के लिए अधिसूचना द्वारा अनुमति देना नाजायज है।	बाढ मैदान परिक्षेत्रण मे अनुमन्य कार्यो को उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना मे किया गया है सभी कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 में दिये गये निहित प्राविधानों के अनुसार ही किये जाने है।
19	अशोक मसीह		
20	निजामुदीन		
21	रहमातुला		
22	नजीम		
23	बेबी सिंह		
24	पंकज	बाढ़ मैदान में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में और उससे सम्बन्धित कार्यों के बारे में इस अधिसूचना में कोई जिक्र नहीं है।	
25	दीपा नेगी		

तदपश्चात द्वितीय आपत्ति हेतु 08 आपत्तिकर्ताओं मे से 02 उपस्थित आपत्तिकर्ताओं को समिति के समक्ष बुलाया गया, जिनकी आपत्तियों का विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का विवरण	समिति के सदस्यो द्वारा आपत्ति का निराकरण
26	शंकर गोपाल एवं ऐडवोकेट हरवीर सिंह	उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अनुसार प्रस्तावित बाढ़ मैदान की जानकारी को सार्वजनिक कर आपत्ति दर्ज करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जारी की गयी अधिसूचना में दी गयी सूची कोई आम नागरिक समझ नहीं पाएंगे। कानून के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र का नक्शा को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके	अधिशासी अभियन्ता सिचांई विभाग द्वारा आपत्तिकर्ताओ को बताया गया कि बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अन्तरिम अधिसूचना उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम– 2012 में दिये गये निहित प्राविधान के आधार पर की गयी है एवं बाढ मैदान परिक्षेत्रण के नक्शा (KMLFile) को दिनांक 10.12.

जिलाधिकारी
देहरादून

		बिना इस अधिसूचना को जारी करना या इसके आधार पर कोई निर्णय लेना विधिविरुद्ध है।	2024 NIC Dehradun की Website पर Upload की गई है। अधिसूचना मे 60 दिन का समय आपत्ति दर्ज करने हेतु दिया गया है।
		–2016 और 2018 में पारित हुए अधिनियमों के अनुसार इस क्षेत्र मजदूर एवं मलिन बस्तियों का नियमितीकरण या पुनर्वास सरकार की कानूनी फर्ज और घोषित हुई नीति है। दरअसल हाल में ही अध्यादेश द्वारा उत्तराखण्ड नगर निकायों और प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रविधान अधिनियम, 2018 को संशोधित कर सरकार ने फिर घोषित किया कि तीन साल के अंदर इन कार्यों को पूरा किया जायेगा। लेकिन जारी की गयी अधिसूचना में इन नीतियों से संबंधित कार्यों पर कोई जिक्र ही नहीं है। यह राज्य सरकार की नीतियों और कानूनी प्राविधानों के खिलाफ है।	समिति द्वारा आपत्तिकर्ताआ को अवगत कराया गया कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य नदी के दोनो तटों मे 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हित करने का कार्य है।
		– इस अधिसूचना द्वारा खनन और एलिवेटेड रोड से संबंधित कार्यों के लिए पहले से ही अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों कार्यों से नदी को काफी नुक्सान होने की सम्भावना है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। अनेक बार मा0 उच्च न्यायालय और मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को उत्तराखंण्ड की नदियों में हो रहे खनन पर रोक या शर्तों को लगाना पड़ा है। जहाँ तक एलिवेटेड रोड की बात है, इस प्रस्तावित परियोजना के बारे में आज तक कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इस परियोजना से नदी, स्थानीय निवासियों और पर्यावरण को नुकसान होने की पूरी सम्भावना है और हमारा मानना है कि यह परियोजना नाजायज एवं विनाशकारी है। इसलिए इस प्रस्तावित अधिसूचना द्वारा इन दोनों कार्यों और अन्य इस प्रकार के कार्यों के लिए पहले ही अनुमति देना आपत्तिजनक एवं नाजायज है।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण से सम्बन्धित सभी कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम– 2012 में दिये गये निहित प्राविधानों के आधार पर किये गये है तथा प्रतिपिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्र में दिये गये अनुमन्य कार्यों का विवरण शासन द्वारा अधिसूचना में सूचित है।
		इसलिए महोदय हम चाहते हैं कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाये और इस	

जिलाधिकारी
देहरादून

		प्रक्रिया को स्थानीय जनता को केंद्र में रखते हुए शुरुआत से किया जाये। किसी भी अधिसूचना को जारी करने से पहले स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं मज़दूर बस्ती के प्रतिनिधियों से राय और सहमति ली जाये।	

तदपश्चात समान प्रकार की 07 आपत्तियो को सुना गया एवं उनकी आपत्तियों का विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है–

क0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का विवरण	समिति के सदस्यो द्वारा आपत्ति का निराकरण
27	हरदयाल प्रसाद यादव	इस सन्दर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरी बस्ती, महात्मा गांधी बस्ती, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में वर्ष 1976 में बसाई गई थी। यह बस्ती प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तब से अब तक हम यहां शांतिपूर्वक निवास कर रहे है एवं उत्तरोत्तर विकास क्रम में उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड जल निगम, बिजली विभाग, तथा नगर निगम से सभी आवश्यक सेवाएं प्राप्त करते आ रहे हैं। हम इन सेवाओं के लिए नियमित कर (टैक्स) का भुगतान भी करते आ रहे हैं।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के चिन्हिकरण का कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम– 2012 के अन्तर्गत नदी की Hydrology एवं Morphology का पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त ही किया गया है।
28	असलम		
29	लक्ष्मी राम		
30	कौशल्या देवी		
31	राजा	उक्त समाचार के अनुसार, बाढ़ संभावित क्षेत्र को चिन्हित करने का कार्य बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के किया गया है, जो पूरी तरह से मनमाना प्रतीत होता है। इस तरह के चिन्हांकन के लिए पारदर्शिता और हितबद्ध दृष्टिकोण का पालन किया जाए।	बाढ़ संभावित क्षेत्र को चिन्हित करने का कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अधीन किया गया है।
32	मौहम्मद इसरार	महोदय मैं एक जिमेदार नागरिक और इस क्षेत्र का हितधारक होने के नाते अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए यह सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जाता है या प्रस्तावित है, जैसे कि	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण से सम्बन्धित सभी कार्य उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 में दिये गये निहित प्राविधानों के आधार पर किये गये है तथा प्रतिषिद्ध एवं

जिलाधिकारी
देहरादून

33	ओम प्रकाश	एलिवेटेड रोड या अन्य परियोजनाएं, तो इसके लिए नदी क्षेत्र के मध्य से दोनों और बसी बस्तियों में से 5 या 10 फीट भूमि को अधिग्रहित कर परियोजना को पूरा करा जाऐ। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी बस्ती को बाढ़ संभावित क्षेत्र से बाहर करने का निर्देश जारी करें और चिन्हाकंन प्रक्रिया की समीक्षा हितबद्ध और पारदर्शी दृष्टिकोण से की जाए। यह हमारे अस्तित्व, आजीविका और भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले इस निर्णय को दोबारा समीक्षा के लिए भेजें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में इस समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा।	निर्बन्धित क्षेत्र में दिये गये अनुमन्य कार्यों का विवरण शासन द्वारा अधिसूचना में सूचित है।

तदपश्चात समान प्रकार की 08 आपत्तियो को सुना गया जिनमे से 07 आपत्तिकर्ता सुनवाई में उपस्थित हुए। उनकी आपत्तियों का विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है–

क0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का विवरण	समिति के सदस्यो द्वारा आपत्ति का निराकरण
34	राजकुमार	1. यह कि श्रीमान. जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, जिला देहरादून द्वारा दिनांक 07.10.2024 को जो नोटिस सम्बन्धित क्षेत्रवासियों के सन्दर्भ में दिनांक 11.10.2024 को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराकर क्षेत्र के मुख्य स्थानों पर चस्पा कराये गये है, वे पूर्णतः विधि विरूद्ध होने के कारण न्यायोचित नहीं है।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अन्तरिम अधिसूचना उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 में दिये गये निहित प्राविधान के आधार पर की गयी।
35	हुकम सिंह गड़िया		
36	मीना विष्ट	2. यह कि नोटिस के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रवासियों को पलड प्लेन जोन में अपने आवास को खाली करने हेतु 60 दिन का समय	बाढ मैदान परिक्षेत्रण में आए आवासों को खाली करने हेतु कोई Notice नही दिया गया। 60 दिन का समय

जिलाधिकारी
देहरादून

		दिया गया है. जो पूर्णतः जन विरोधी है।	आपत्ति दर्ज करने हेतु दिया गया है।
37	महेन्द्र सिंह रावत	3. यह कि सम्बन्धित क्षेत्र में जो भी निर्माण हुये है, वे अधिकांश पंजीकृत मलिन बस्ती में वर्षों पूर्व निर्मित हुये हैं, जिनमें शासन की ओर से विभिन्न जनहित योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, सड़क नाली, स्ट्रीट लाईटस, पेयजल लाईन डालकर, भवनकर लगाकर सभी क्षेत्रवासियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कराने के पश्चात कनैक्शन/संयोजन दिये गये हैं, क़ोई भी कनैक्श/संयोजन विधि विरुद्ध अथवा अवैध नहीं है तथा सम्बन्धित उपरोक्त बस्तियों की सुरक्षा हेतु पुश्ते डालकर ही शासन द्वारा मलिन बस्तियों को मान्यता दी गई है।	बाढ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन नदी के वर्तमान स्वरूप पर ही किया गया है।
38	सुन्दर सिंह पुण्डीर		
39	हाजी मौ0 इलियास अन्सारी		
40	प्रवेश त्यागी	4. यह कि सम्बन्धित क्षेत्रवासियों ने जो आवास वहां निर्मित कराये है, वे पूरे जीवन की मेहनत मजदूरी से निर्मित कराये हुये हैं, तथा निर्मित आवासों के अलावा सभी क्षेत्रवासियों के पास रहने के लिए अन्य कोई आवास नहीं है।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य नदी के दोनो तटों मे 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हित करने का कार्य है। आवास खाली करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
		5. यह कि यदि सम्बन्धित क्षेत्रवासियों को अपने आवास छोड़ने पड़े तो सभी के परिवार बेघर होकर सड़क पर आ जायेंगें।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अध्ययन के आधार पर 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति का चिन्हिकरण किया गया है।
		6. यह कि शासन द्वारा पूर्व में वर्ष 1983, 1986 में कई बस्तियों जैसे विकासपुरम, शान्ति विहार, वाणी विहार में आवास स्थल आवंटन किये गये है. इसके पश्चात भी शासन द्वारा समय-समय पर बस्तियों में मालिकाना अधिकार दिये हैं।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अध्ययन के आधार पर ही चिन्हिकरण का कार्य किया गया है।
		7. यह कि उपरोक्त सभी नदी रिस्पना से निर्मित बस्तियों फ्लड प्लेन जोन से प्रभावित नहीं होता है, जिस कारण उक्त क्षेत्र भविष्य में फ्लङ जैसी बुरी स्थिति से प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है, बस्तियाँ हटाने के कारण समस्त क्षेत्रवासी अवश्य ही बुरी तरह प्रभावित हो जायेंगे।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अध्ययन के आधार पर ही चिन्हिकरण का कार्य किया गया है।

जिलाधिकारी
देहरादून

		8. यह कि यदि शासन की किसी बड़ी योजना का क्रियान्वयन होना अनिवार्य है, तो सम्बन्धित मलिन बस्ती के क्षेत्रवासियों को सम्बन्धित क्षेत्र से हटाने से पूर्व न्यायहित में उनके आवास बनाकर उन्हें वहां शिपट कराकर विस्थापित कराया जाना अति आवश्यक है। 9. यह कि शासन द्वारा जारी नोटिस न्यायहित में शीघ्र निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।	बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अन्तरिम अधिसूचना उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 में दिये गये निहित प्राविधान के आधार पर की गयी।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक–954/एल0बी0सी0–2024, दिनांक 14.12.2024 के द्वारा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण समाचार पत्रों में दिनांक 18.12.2024 को प्रकाशित विज्ञप्ति के कम में अनुपस्थित आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों की सुनवाई हेतु दिनांक 21.12.2024 को पुनः बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित कुल 04 आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम	आपत्ति का विवरण	समिति के सदस्यो द्वारा आपत्ति का निराकरण
41	श्री जगदीश प्रसाद	निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० जोगी, निवासी–नई बस्ती के चन्दर रोड डालनवाला, देहरादून का निवासी हूँ, महोदय प्रार्थी व उसके परिवार को रिस्पना नदी के किनारे निवास करते हुये 40 वर्ष से अधिक हो गये। कभी भी रिस्पना नदी का पानी हमारे घर व आसपास के घरो में नहीं आया है।	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा आपत्तिकर्ता को अवगत कराया गया कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य नदी दोनो तटों मे 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हित करने का कार्य है। आवास खाली करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
42	फरीद अहमद	1. यह कि प्रार्थी भवन सं0–211, नई बस्ती, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून में अपने परिवार सहित विगत लगभग 45 वर्षो से निवास कर रहा है। प्रार्थी के परिवार में उसकी पत्नी, उसकी 6 पुत्रियां तथा दो पुत्र है, जिनमें से प्रार्थी के द्वारा अपनी चार पुत्रियों का विवाह किया जा चुका है तथा शेष सभी सदस्य उपरोक्त वर्णित भवन में निवास कर रहे है। प्रार्थी का वड़ा पुत्र विवाहित है, जो कि अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ निवास कर रहा है।	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा आपत्तिकर्ता को अवगत कराया गया कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य नदी के दोनो तटों मे 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हित करने का कार्य है। आवास खाली करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

जिलाधिकारी
देहरादून

		2. यह कि प्रार्थी के द्वारा अपनी उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम में भवन कर अदा किया जा रहा है तथा बिजली पानी के बिल का भी नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। प्रार्थी के पास अपनी उक्त सम्पत्ति के अध्यासन के संदर्भ में समस्त दस्तावेज जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी एवं बच्चों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज आदि मौजूद है। 3. यह कि प्रार्थी की सम्पत्ति के संदर्भ में उक्त सूचना, जो कि आप महोदय के कार्यालय द्वारा चस्पा की गई है, के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रार्थी का भवन बाढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है, जिस कारण प्रार्थी को उसके भवन से निष्कासित किया जाना विधि विरुद्ध है। 4. यह कि प्रार्थी के पास अपने उक्त भवन के अतिरिक्त अन्य कोई रिहायश अपने एवं अपने उपरोक्त परिवारजनों हेतु उपलब्ध नहीं है और यदि प्रार्थी को उसके भवन से निष्कासित किया जाता है तो प्रार्थी व उसका परिवार सड़क पर आ जायेगा तथा उनका जीवन अन्धकारमय हो जायेगा। 5. यह कि न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रार्थी को उसके भवन से निष्कासित न किया जाये तथा प्रार्थी के द्वारा इस प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों की जांच करवाते हुए प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थी के भवन को बाढ़ परिक्षेत्र मुक्त घोषित करने के आदेश पारित किये जाये।	
43	अब्दुल वहाव	1. यह कि प्रार्थी भवन सं0–213, नई बस्ती, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून में अपने	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा आपत्तिकर्ता को अवगत कराया

जिलाधिकारी
देहरादून

		परिवार सहित विगत लगभग 24 वर्षों से निवास कर रहा है। प्रार्थी के परिवार में उसकी पत्नी, उसकी 2 पुत्रियां तथा 4 पुत्र है, जिनमें से प्रार्थी की एक पुत्री तथा 3–पुत्रों का विवाह हो चुका है तथा प्रार्थी के चारों पुत्र अपनी पत्नी तथा बच्चों सहित प्रार्थी के साथ निवास कर रहे है। 2. यह कि प्रार्थी के द्वारा अपनी उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम में भवन कर अदा किया जा रहा है तथा बिजली पानी के बिल का भी नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। प्रार्थी के पास अपनी उक्त सम्पत्ति के अध्यासन के संदर्भ में समस्त दस्तावेज जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी एवं बच्चों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज मौजूद है। 3. यह कि प्रार्थी की सम्पत्ति के संदर्भ में उक्त सूचना, जो कि आप महोदय के कार्यालय द्वारा चस्पा की गई है, के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रार्थी का भवन बाढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है, जिस कारण प्रार्थी को उसके भवन से निष्कासित किया जाना विधि विरूद्ध है। 4. यह कि प्रार्थी के पास अपने उक्त भवन के अतिरिक्त अन्य कोई रिहायश अपने एवं अपने उपरोक्त परिवारजनों हेतु उपलब्ध नहीं है और यदि प्रार्थी को उसके भवन से निष्कासित किया जाता है तो प्रार्थी व उसका परिवार सड़क पर आ जायेगा तथा उनका जीवन अन्धकारमय हो जायेगा। 5. यह कि न्यायहित में यह आवश्यक है कि प्रार्थी को उसके भवन से निष्कासित न किया जाये तथा प्रार्थी के द्वारा इस प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों की जांच करवाते हुए प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थी के भवन को बाढ़ परिक्षेत्र मुक्त घोषित करने के आदेश पारित किये जाये।	गया कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य नदी के दोनो तटों मे 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हित करने का कार्य है। आवास खाली करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

जिलाधिकारी
देहरादून

	एम०एच० काजी	यह कि मैं भगत कालोनी [illegible] रोड रायपुर का निवासी हूँ, मान्यवर मेरा एक मकान भगत सिंह कालोनी में है, आपका निर्देश है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो 10/12/24 तक पेश हो मान्यवर मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है मान्यवर मेरा बच्चा थैलासीमिया का मरीज है, जिसको 10-15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है, जो बाहर के खून से ही जीवित है, मान्यवर पूरा राज्य के देहरादून जिले में 80 बच्चे है जिनको भी हम अपने स्तर से मदद करते बिना किसी सरकारी या अन्य सहायता के। मान्यवर आपसे आग्रह है कि भविष्य में अगर कालोनी मे कोई तोड़फोड़ किया जाता है तो अन्य स्थान पर ठिकाना दिया जाये। आपकी अति कृपा होगी।	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य नदी के दोनों तटों में 25 वर्ष तथा 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति की सीमा को चिन्हित करने का कार्य है। आवास खाली करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

इस प्रकार समिति द्वारा समस्त उपस्थित (46) आपत्तिकर्ताओं को सुनते हुये उनकी आपत्तियां और तद्सम्बधित आशंकाओं का निवारण करते हुये तद्नुसार उनकी आपत्तियों को निक्षेपित करते हुय निस्तारित किया गया।

(पुरूषोत्तम/सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून।

(डी०सी० उनियाल/सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
देहरादून।

(हर गिरी/सदस्य)
उपजिलाधिकारी, सदर
देहरादून।

(नीरज कुमार/सदस्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग देहरादून।

(अमित कंवर/सदस्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, मसूरी

(वंशीधर तिवारी/सदस्य)
उपाध्यक्ष
मसूरी, देहरादून विकास प्राधि०
देहरादून।

(सविन बंसल/अध्यक्ष)
जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान
परिक्षेत्रण अधिकारी,
देहरादून।

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक 523/न्या0/2025 दिनांक 07/02/2025

सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–174/एल0वी0सी0/2025 दिनांक 05.02.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या/प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. That the matter was listed before the Hon'ble NGT on 16.12.2024, wherein the Hon'ble Tribunal was pleased to order that: -
"...15. We have seen the photographs and we find from photographs that the encroachments have been partially removed....

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि चिन्हित 89 अतिक्रमण में 69 की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई गयी थी जिसमें पूर्ण ध्वस्त किए गये ध्वस्तीकरण की फोटो संलग्न है तथा हटाये गये अतिक्रमण स्थल की वर्तमान स्थिति की नवीनतम जीओ टैग फोटो संलग्न है। शेष 20 अतिक्रमण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित के द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड(नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्राविधान) अधिनियम 2018 के प्रस्तर–2 के अनुसार दिनांक 11.03.2016 से पूर्व में होने के कारण संरक्षण प्राप्त हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 उत्तराखण्ड राज्य बनाम निरंजन बागछी जिसकी डायरी संख्या–5884/2025, दिनांक 01.02.2025 दाखिल की गयी।

उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(हेमन्त कुमार वर्मा)
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त महोदया का सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

...धिकारी,
देहरादून

GPS Map Camera
देहरादून, उत्तराखंड, भारत
72hw+c9h, दीपा नगर, केदार पूरम, देहरादून, उत्तराखंड 248001, भारत
Lat 30.278296° Long 78.04616°
05/02/2025 12:01 PM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

GPS Map Camera
देहरादून, उत्तराखंड, भारत
72hw+37v, दीपा नगर, केदार पूरम, देहरादून, उत्तराखंड 248001, भारत
Lat 30.277859° Long 78.045989°
05/02/2025 11:56 AM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

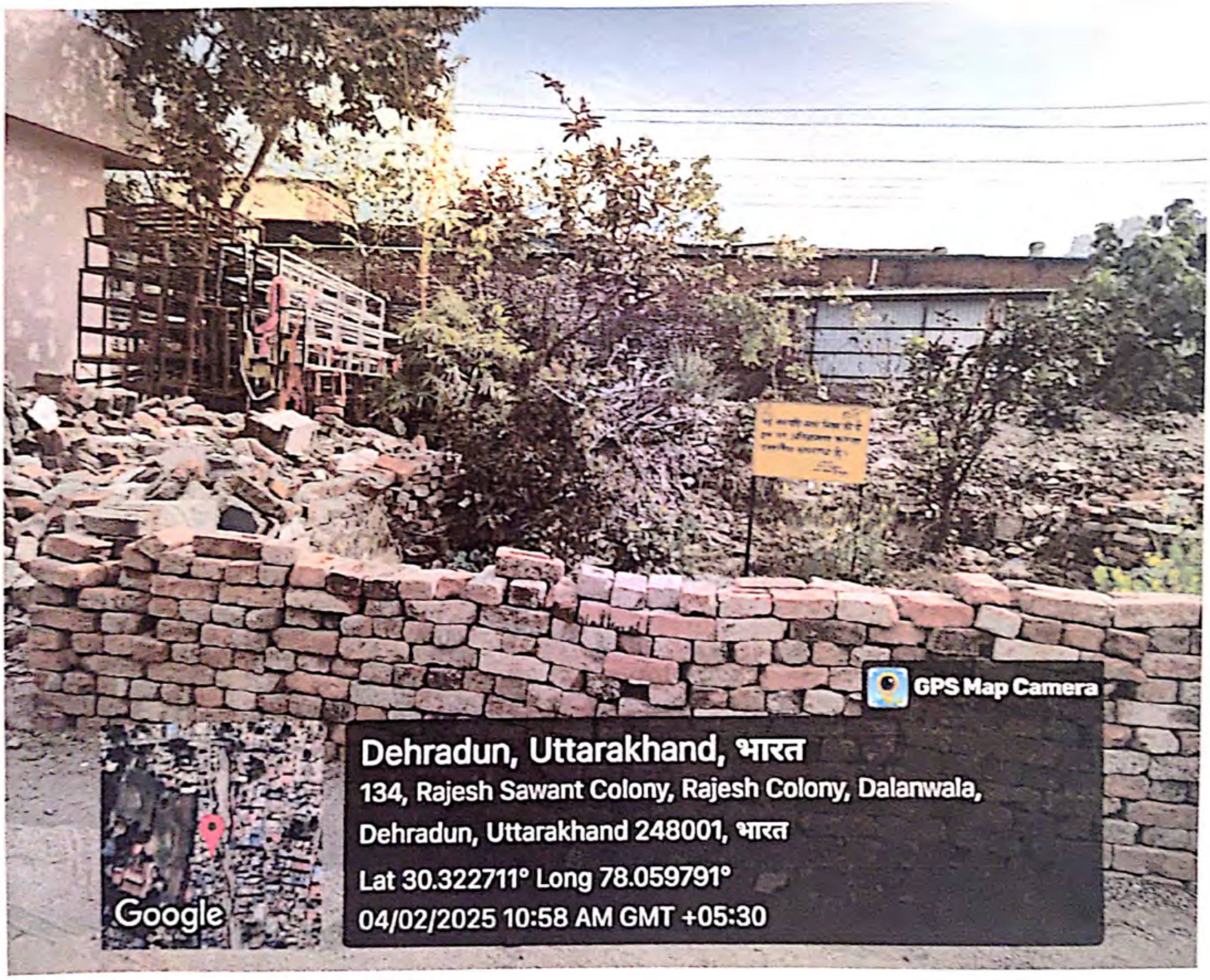

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, भारत
134, Rajesh Sawant Colony, Rajesh Colony, Dalanwala,
Dehradun, Uttarakhand 248001, भारत
Lat 30.322711° Long 78.059791°
04/02/2025 10:58 AM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, भारत
35, Rajesh Sawant Colony, Rajesh Colony, Dalanwala,
Dehradun, Uttarakhand 248001, भारत
Lat 30.323122° Long 78.059801°
04/02/2025 10:59 AM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
49, Rajesh Sawant Colony, Dalanwala, Dehradun,
Uttarakhand 248001, India
Lat 30.323624° Long 78.059715°
04/02/2025 11:00 AM GMT +05:30
Google

देहरादून

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, भारत
12, Mdda Colony, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001, भारत
Lat 30.312659° Long 78.060984°
04/02/2025 11:31 AM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

767

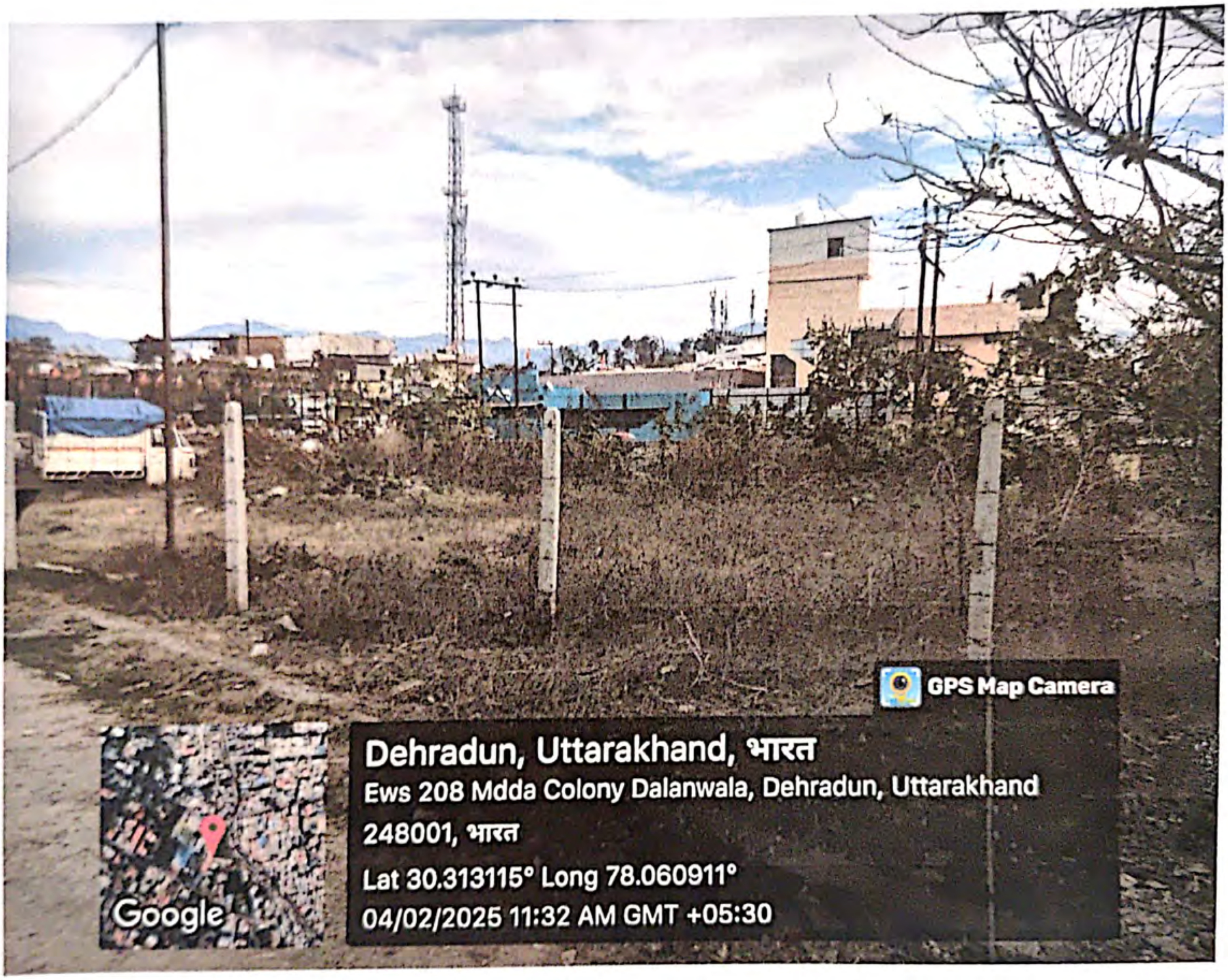

जिलाधिकारी
देहरादून

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, भारत
12, Mdda Colony, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001, भारत
Lat 30.312684° Long 78.060994°
04/02/2025 11:31 AM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, भारत
198, Chander Rd, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001, भारत
Lat 30.31337° Long 78.06095°
04/02/2025 11:33 AM GMT +05:30
Google

जिलाधिकारी
देहरादून

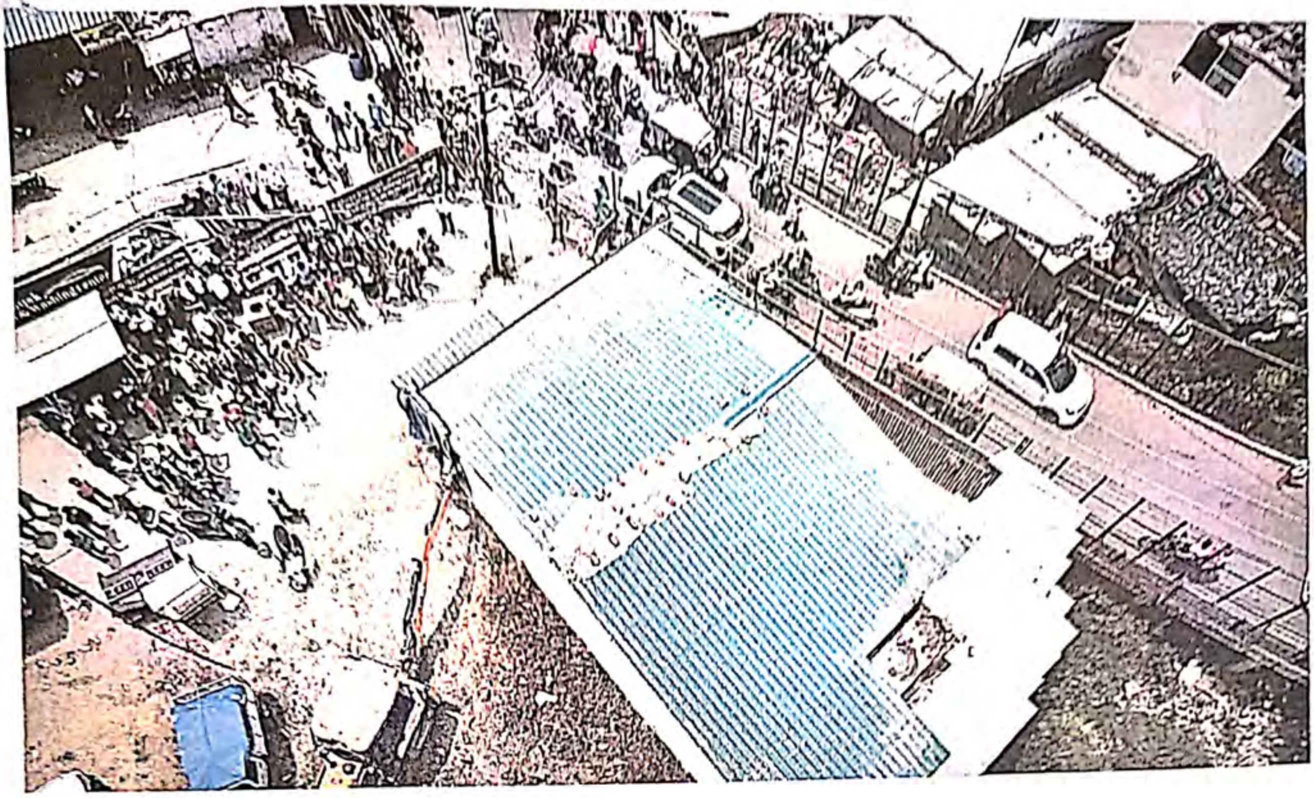

जिलाधिकारी
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

772

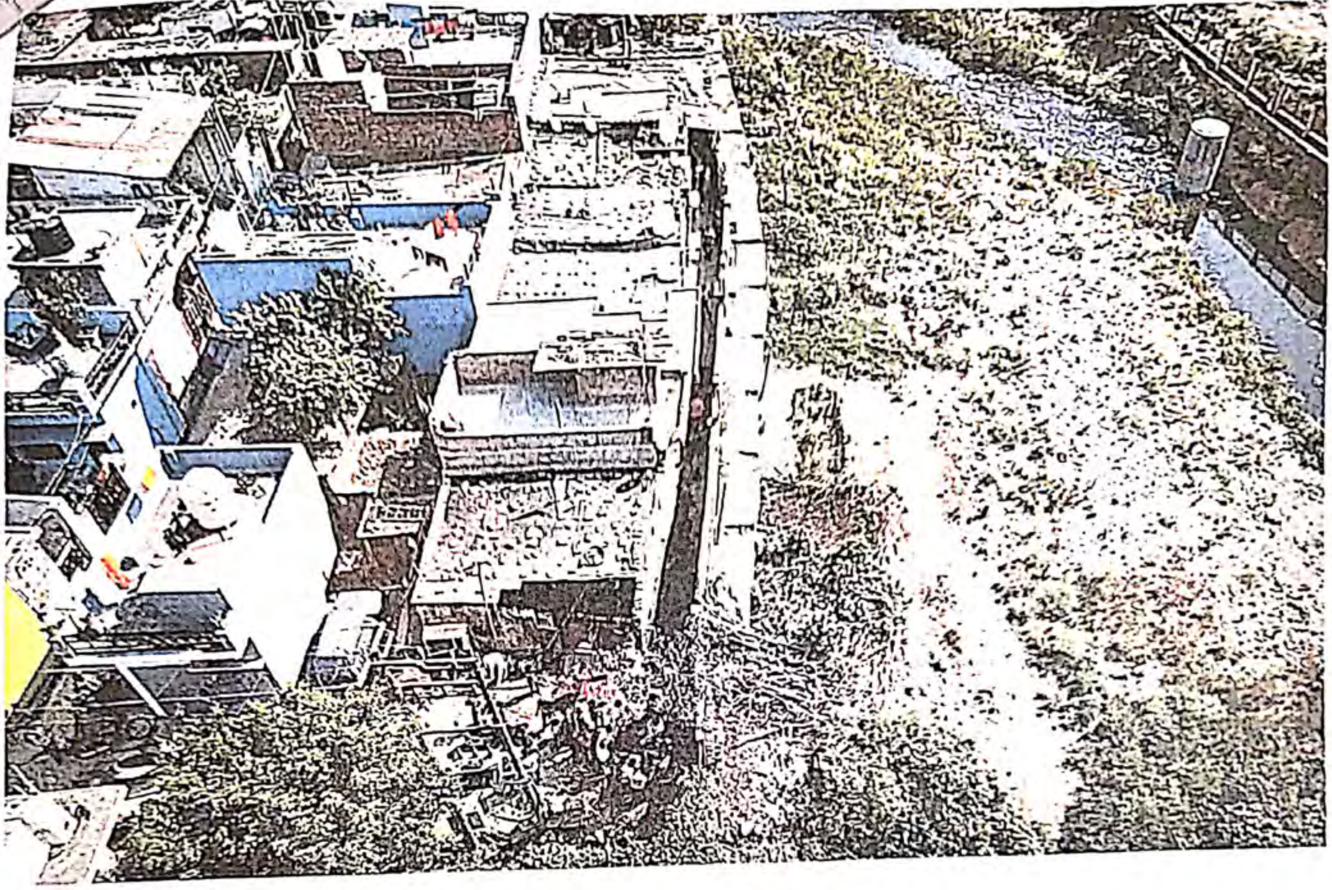

जिलाधिकारी
देहरादून

क्रम संख्या–105

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 ई०

श्रावण 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 273 / XXXVI (3) / 2018 / 53(1) / 2018

देहरादून, 26 जुलाई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन श्री राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018" पर दिनांक 26 जुलाई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 02, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

जिलाधिकारी
देहरादून

उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–02, वर्ष 2018)

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष मे राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड में अनधिकृत विकास, अतिकमण और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य की विधानसभा सत्र मे नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर लागू होगा।।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्यादेश में:–

(क) "अतिकमण" से नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक/राजकीय भूमि, सड़क मार्ग, गलियों, पैदल मार्गों आदि में आवासीय, व्यवसायिक अथवा अन्य कार्यो हेतु किये गये अतिकमण एवं अस्थायी, अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी निर्माण अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र मे लागू मास्टर प्लान /योजना का उल्लंघन कर किया गया हो;

(ख) "अध्यादेश" से "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018" अभिप्रेत है;

(ग) "नगर निकाय" से ऐसी स्वायत्तशासी संस्था अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित व अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत गठित है, और इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत शामिल है;

(घ) "दण्डात्मक कार्यवाही" से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन अनधिकृत विकास के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अभिप्रेत है जिसमे ध्वस्तीकरण, परिसर की सीलिंग तथा व्यक्तियों अथवा उनके व्यवसाय का विद्यमान स्थान से विस्थापन न्यायालय अथवा अन्यथा के अनुपालन मे किया गया हो;

जिलाधिकारी
देहरादून

(ङ.) "नियमावली" से "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) नियमावली, 2018" अभिप्रेत है, किन्तु इस अध्यादेश के अधीन नियमावली का प्रख्यापन से पूर्व तक "उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016" प्रचलन में रहेगी;

(च) "मलिन बस्ती" से नगर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहाँ अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौमिक अधिकारों के अभाव के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो। इनमें ऐसी बस्तियाँ भी सम्मिलित होंगी जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित की गयी हों;

(छ) "अनधिकृत विकास" से ऐसे भू-उपयोग अथवा भवन उपयोग तथा भवन निर्माण अभिप्रेत है जो स्वीकृत प्लान से सुसंगत न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान अथवा ले-आऊट प्लान अथवा जैसा भी प्रकरण हो, का उल्लंघन करता हो तथा इसके अंतर्गत अतिक्रमण भी शामिल है।

अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव

3. इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अध्यादेश से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

अध्याय- दो

राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही व निर्देश देने की शक्ति

प्रवर्तन को स्थगित रखा जाना

4. (1) इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के तिथि से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास कर सकेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके।

(2) उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली किसी दण्डात्मक कार्यवाही को इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

जिलाधिकारी
देहरादून

इस अध्यादेश के प्राविधानों का कतिपय प्रकरणों पर लागू न होना

5. इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणी के अनाधिकृत विकास के लिए धारा 4 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।--

(1) दिनांक 11.03.2016 के पश्चात प्रारम्भ किये गये और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्य।

(2) सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

(3) सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/विकास।

राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

6. राज्य सरकार, समय–समय पर स्थानीय नगर निकायों एवं प्राधिकरणों को, जैसा कि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेगी। नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निर्गत निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय– तीन
प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7. इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नही की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

8. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

9. यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नही किया जायेगा।

डॉ० कृष्ण कान्त पाल,
राज्यपाल,
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 33 विधायी/428–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

जिलाधिकारी
देहरादून

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 361 / XXXVI(3) / 2018 / 72(1) / 2018

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018' पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 33, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

जिलाधिकारी

देहरादून

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33, वर्ष, 2018)

उत्तराखण्ड में अनधिकृत विकास, अतिक्रमण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2\. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:–

(क) "अधिनियम" से "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से नगरपंचायत व नगरपालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी तथा नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त एवं प्राधिकरण की दशा में प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) 'अतिकमण' से नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक/राजकीय भूमि, सड़क मार्ग, गलियों, पैदल मार्गों आदि में आवासीय, व्यवसायिक अथवा अन्य उपयोग हेतु किये गये अतिकमण एवं अस्थायी, अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी निर्माण अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र में लागू मास्टर प्लान /योजना का उल्लंघन कर किया गया हो;

जिलाधिकारी
देहरादून

(घ) "दण्डात्मक कार्यवाही" से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन अनधिकृत विकास के विरूद्ध की गयी कार्यवाही अभिप्रेत है जिसमें ध्वस्तीकरण, परिसर की सीलिंग तथा व्यक्तियों अथवा उनके व्यवसाय का विद्यमान स्थान से विस्थापन न्यायालय अथवा अन्यथा के अनुपालन में किया गया हो;

(ड.) "नियमावली" से "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान नियमावली, 2018" अभिप्रेत है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नियमावली का प्रख्यापन होने तक "उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016" प्रचलन में रहेगी;

(च) "मलिन बस्ती" से नगर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहाँ अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौमिक अधिकारों के अभाव के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो। इनमें ऐसी बस्तियाँ भी सम्मिलित होंगी जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्ती के रूप मे अधिसूचित की गयी हों;

(छ) "अनधिकृत विकास" से ऐसे भू–उपयोग अथवा भवन उपयोग तथा भवन निर्माण अभिप्रेत है जो स्वीकृत प्लान से सुसंगत न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान अथवा ले–आऊट प्लान अथवा जैसा भी प्रकरण हो, का उल्लंघन करता हो तथा इसके अंतर्गत अतिक्रमण भी सम्मिलित है।

(ज) "नगर निकाय" से ऐसी स्वायत्तशासी संस्था अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित व अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत गठित है, और इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत सम्मिलित है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

3. इस अधिनियम के उपबंध का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

जिलाधिकारी
देहरादून

अध्याय– दो

राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही व निर्देश देने की शक्ति

प्रवर्तन को स्थगित रखा जाना

4. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके।

(2) उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के लागू होने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

इस अधिनियम के प्राविधानों का कतिपय प्रकरणों पर लागू न होना

5. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणी के अनधिकृत विकास के लिए धारा 4 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।–

(1) दिनांक 11.03.2016 के पश्चात प्रारम्भ और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण कार्य।

(2) सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

(3) सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/विकास।

राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

6. राज्य सरकार, समय–समय पर स्थानीय नगर निकायों एवं प्राधिकरणों को, जैसा कि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेगी। नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्गत निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी
देहरादून

अध्याय– तीन
प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नही की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

8. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नही किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

10. (1) उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2)ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

जिलाधिकारी
देहरादून

No. 361/XXXVI(3)/2018/72(1)/2018
Dated Dehradun, October 17, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018**' (Adhiniyam Sankhya: 33 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16 October, 2018.

The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 33 of 2018)

AN

ACT

to provide for unauthorised development, encroachment in Uttarakhand and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty ninth year of the Republic of India as follows-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent & commencement

1. (1) This Act may be called "the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018".

(2) It extends to all Urban Local Bodies/ Authorities of the State.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means 'the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018';

जिलाधिकारी
देहरादून

(b) **"Competent Authority"** means Executive officer in case of Nagar Panchayat and Municipality area and Municipal Commissioner in Municipal Corporation and Chairman of the Authority in Authority;

(c) **"Encroachment"** means encroachment in public land/Government land, road, street, pavements etc. for residential, commercial or other use and temporary, semi-permanent or permanent construction within the area of Urban body which has been done in contravention of the master plan/ Scheme applicable in that area;

(d) **"Punitive action"** means action taken by a local authority under the relevant law against unauthorized development wherein demolition, sealing of premises and displacement of persons or their business establishment from their existing location has been done in compliance of Court or otherwise;

(e) **"Rules"** means 'the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Rules,2018', but "The Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation, Resettlement and Provisions related thereto and Prevention of Encroachment of the Slums located in Urban Local bodies of the State Rules, 2016" shall remain in force till the promulgation of Rules made under this Act;

(f) **"Slum"** means those areas located within the local bodies which, due to excessive population density, unplanned construction, lack of basic facilities and lack of tenancy rights, are unfit for human habitations in view of health and security. It also includes such habitations which are notified as slums by the State Government for the above any one or more factors;

(g) **"Unauthorized development"** means such use of land or use of building and construction of building which are not relevant to the sanctioned plans or

जिलाधिकारी
देहरादून

without obtaining the sanction from Competent Authority or in contravention of the Master Plan or Zonal Plan or lay out plan, or as the case may be, and it also includes encroachment;

(h) **"Urban Body"** means such autonomous body which is defined under Article 12 and Constituted under Article 243Q of the Constitution of India and it includes Nagar Nigam, Nagar Palika Parisad and Nagar Panchayat.

Overriding effect of the Act

3. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the any other law for the time being in force or in any instrument having effect on basis of any other law other than this Act.

CHAPTER-II

PROCEEDING BY STATE GOVERNMENT AND POWER TO GIVE DIRECTION

Enforcement to be kept in Abeyance

4. (1) The State Government may, within a period of 3 years from the enforcement of this Act, make all possible efforts to deal with the problems like unauthorized construction and encroachment done in the form of slums and *jhuggi-jhoprts*, so that the development of Urban Bodies of Uttarakhand State takes place in a sustainable and planned manner.

(2) Status quo may be maintained according to the situations as on dated 11.03.2016 in the matters described in sub-section (1) in addition to the matters related to any Judgment, decree and orders of the courts under the provisions given in sub-section (1).

(3) Any punitive action in consequence of all notices issued by any local body/authority in the related matters of unauthorized construction referred to in sub-section(1), shall be suspended for further three years from the commencement of this Act and no punitive action shall be taken during this period.

The provisions of this Act not to apply in certain cases

5. After the enforcement of this Act, there shall be no relaxation under the provisions of Section 4 for the unauthorized development of the following categories-

(1) any kind of unauthorised construction started and is under construction after dated 11.03.2016.

जिलाधिकारी
देहरादून

(2) any encroachment on public land which is not covered from sub-section (1) of section 4.

(3) encroachment/unauthorized construction/ development on public roads/ pavements/ footpaths and streets/ and track .

Power of State Government to give directions

6. The State Government may, from time to time, give such directions to Urban Local Bodies and Authorities as it may deems fit. It shall be compulsory for the Urban Bodies and Authorities, to comply with directions issued under this Act.

CHAPTER-III

MISCELLANEOUS

Protection of action taken in good faith

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer of State Government or any person exercising any powers or performing any duties under this Act, for anything in good faith or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

Power to make rules

8. The State Government may by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to remove Difficulties

9. (1) If any difficulty arises in implementation of the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act and as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

Repeal and Saving

10. (1) The Uttarakhand (Special Provisions for Urban Local Bodies and Authorities) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

जलाधिकारी
देहरादून

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा देहरादून समेत अन्य शहरी क्षेत्रों के विद्यमान मास्टर प्लान मे संशोधन एवं परिवर्द्धन की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे क्षेत्र, जो मास्टर प्लान से आच्छादित नही हैं, में मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान हैं। राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है। इस हेतु "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 का प्रख्यापन किया गया है।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

जिलाधिकारी
देहरादून

Statement of Objective and Reasons

The proceeding, for amendment and addition in existing Master Plan of other Urban Areas including Dehradun has been taken by the State Government. The Master Plan in under proceeding in such areas which are not covered by the Master Plan. The State Government is committed for Reformation, Regularization, Rehabilitation and Resettlement of all Slums located in Uttarakhand State. The Uttarakhand (Special Provisions for Urban Bodies and Authorities) Ordinance, 2018 has promulgated for this.

2. The proposed bill is substitute bill of the said Ordinance and fulfills the above objectives.

जिलाधिकारी
देहरादून

क्रम संख्या–111

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 264/XXXVI (3)/2021/55(1)/2021

देहरादून, 24 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021' पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 24 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

जिलाधिकारी
देहरादून

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 सितम्बर, 2021 ई० (आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 में "03 वर्ष" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहां–जहां ये आते हैं, "06 वर्ष " शब्द और अंक रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,

प्रमुख सचिव।

जिलाधिकारी

देहरादून

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित संशोधन किये जाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021' को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

बंशीधर भगत
मंत्री।

जिलाधिकारी
देहरादून

No. 264/XXXVI(3)/2021/55(1)/2021

Dated Dehradun, September 24, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 (Act No. 24 of 2021)**'.

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 September, 2021.

The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021

(Uttarakhand Act No. 24 of 2021)

An

Act

to amend the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title extend and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 (2) It extended to all the Urban Bodies/ Authorities of the state. (3) It shall come into force at once.
Amendment of section 4	2.	In section 4 of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018, for word and figures "**03 years**", wherever they occur, the word and figures "**06 years**" shall be substituted.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

जिलाधिकारी
देहरादून

Statement of objects and reasons

State government is commited for reforms, Regulation, Rehabilitation and rearrangement of slums situated in all urban bodies of uttarakhand state for this Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018, has been enacted by state government.

With the objectives to do a required amendment in section 4 of aforesaid Act the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 enactment is purposed.

2- Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Bansidhar Bhagat
Minister

जिलाधिकारी
देहरादून

पी०एस०यू० (आर०ई०) 31 विधायी/406-2021-100+600 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

No. 360/XXXVI(3)/2024/44(1)/2024
Dehradun Dated, December 03, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Ordinance, 2024 (Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2024).

As promulgated by the Governor on 02nd December, 2024.

The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Ordinance, 2024

(Uttarakhand Ordinance No. 04 of 2024)

Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India

An
Ordinance

further to amend the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018,

Whereas, the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

जिलाधिकारी
देहरादून

Short title, extent and commencement	1.	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Ordinance, 2024 (2) It shall extend to all the Urban Bodies/ Authorities of the State. (3) It shall come into force at once.
Amendment of section 4	2.	In section 4 of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 for word and figures "06 years", wherever they occurs, the word and figures "09 years" shall be substituted.

LT. GEN. GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.),
GOVERNOR, UTTARAKHAND.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.

//TRUE COPY//

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधायी / 546–2024–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

जिलाधिकारी
देहरादून

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1440 OF 2025

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. APPELLANT(S)

VERSUS

NIRANJAN BAGCHI & ORS. RESPONDENT(S)

O R D E R

1. We have heard Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General and Mr. Atmaram N S Nadkarni, learned senior counsel for the appellant - State of Uttarakhand.

2. The State of Uttarakhand is principally aggrieved by Paragraph Nos. 21 and 23 of the impugned order which are set out hereinbelow:

> "21. The Chief Secretary, Government of uttarakhand is directed to place the matter before the Government of Uttarakhand for initiating appropriate legislative and executive measures within one month for removal of the encroachments from the river bed/Flood Plain Zone of river Rispana for requisite compliance with the provisions of the Environment Protection Act, 1986, Rules made and Notifications issued under the same and directions given by Hon'ble Supreme Court and this Tribunal qua prohibition of construction within Flood Plain Zone.
>
> xx xx xx
>
> 23. We also consider personal appearance of the Principal Secretary, Urban Development, Principal Secretary, Irrigation, Commissioner of Municipal Corporation, Dehradun, District Magistrate, Dehradun and Vice Chairman, Mussoorie Dehradun Development Authority to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved and they are accordingly directed to remain present before the Tribunal on the next date of hearing hereby fixed."

Signature Not Verified

जिलाधिकारी
देहरादून

3. The question before the National Green Tribunal (for short, the "Tribunal") was whether the 20 encroachments (which the State claims, came into being before 11.03.2016) are protected by the State Acts called Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016 and clause 5 thereof as well as the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018. The Tribunal has taken the view in the order that the notification dated 07.10.2016 of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation issued under Sections 3, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20 and 23 of the Environment Protection Act, 1986 would prevail and in view of the Clause 6(3) thereof, the 20 admitted encroachments will also have no protection notwithstanding the acts of the State Legislature. In the light of the finding, necessary directions have been given to carry out legislative amendments and to issue executive directions thereof.

4. The contention of the State before us is that Clause 6(3) of the notification dated 07.10.2016 has a second proviso, which mandates that, for completed constructions, before removal, a review is to be done by National Mission for Clean Ganga. For the sake of convenience, Clause 6(3) is extracted in entirety hereinbelow:

> "6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries.
>
> Xx xx xx

जिलाधिकारी
देहरादून

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:

Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:

Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them."

5. According to the learned Solicitor General and Mr. Atmaram N S Nadkarni, the Tribunal has not directed its attention towards the second proviso to Clause 6(3).

6. In view of the stand taken by the State, we permit the State to go back to the Tribunal and move a necessary application before the Tribunal, bringing to its kind attention the second proviso to Clause 6(3) and for seeking appropriate directions thereof. Let the needful be done within two weeks from today.

7. In the event of any adverse orders are made, we grant liberty to the State to come back to this Court against the said order and the impugned order as well.

जिलाधिकारी
देहरादून

8. The senior counsel undertakes that the application will be filed within two weeks. The impugned order is kept in abeyance for a period of three weeks.

9. The matter is disposed of in the above terms.

10. Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

..........................J.
(K.V. VISWANATHAN)

..........................J.
(NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH)

NEW DELHI;
FEBRUARY 10, 2025.

जिलाधिकारी
देहरादून

ITEM NO.14 COURT NO.3 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 1440/2025

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. Appellant(s)

VERSUS

NIRANJAN BAGCHI & ORS. Respondent(s)

(IA No. 31568/2025 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT
IA No. 31569/2025 - STAY APPLICATION)

Date : 10-02-2025 This matter was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE K.V. VISWANATHAN
HON'BLE MR. JUSTICE NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH

For Appellant(s) :
Mr. Tushar Mehta Sr. Adv., Solicitor General
Mr. Atmaram N S Nadkarni, Sr. Adv.
Dr. Abhishek Atrey, Adv.
Ms. Ambika Atrey, Adv.
Ms. Jyoti Verma, Adv.
Mr. Abhishek Atrey, AOR

For Respondent(s) :

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

The matter is disposed of in terms of the signed order.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

(NITIN TALREJA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(PREETHI T.C.)
ASSISTANT REGISTRAR

(Signed order is placed on the file)

जिलाधिकारी
देहरादून